भारत को "अपरिष्कृत हीरों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्र" बनाने के लिए हीरा क्षेत्र संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
नई दिल्ली

फरवरी, 2013

विषय - सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	प्राक्कथन	
2	कार्यकारी सार	
3	अध्याय 1 : परिचय	
4	अध्याय 2 : भारतीय परिदृश्यक	
5	अध्याय 3 : विस्तृत सुझाव और उनका स्पष्टी करण	
6	परिशिष्ट 1 : कार्यदल की संरचना तथा कार्यक्षेत्र	
7	परिशिष्ट 2 : उद्योग की पृष्ठभूमि	
8	परिशिष्ट 3 : हीरा उद्योग में कराधान की चुनौतियां	
9	परिशिष्ट 4 : भारत में हीरा उद्योग के कराधान का विकास	
10	परिशिष्ट 5 : निर्यात में अपेक्षित प्रलेखन	
11	परिशिष्ट 6 : उद्योग प्रौद्योगिकी और कौशल संबंधी अपेक्षाएं	
12	परिशिष्ट 7 : आयात/निर्यात संबंधी आंकड़े	
13	परिशिष्ट 8 : हितकारी/अनुमानित काराधान का कर अभिवर्धी प्रभाव	

प्राक्कथन

हीरा उद्योग इस समय गहन मंदी झेल रहा है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान कटे और परिष्कृत हीरों के कुल निर्यात में क्रमश: 17 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। अमरीका जो पारंपरिक रूप से हीरों का एक मुख्य बाजार रहा है, में हमारा हिस्सा घटता जा रहा है। ऐसी रिपोर्टें हैं कि चीन अफ्रीकी देशों में खानों के अधिग्रहण के जरिए भारतीय हीरा उद्योग के लिए मुख्य खतरे के रूप में उभर रहा है, जो हमारे लिए मुख्य चुनौती है। दुबई भी वैश्विक हीरा व्यापार केन्द्र के रूप में उभर रहा है। इस सरोकार और हीरा उद्योग के वास्तविक हित की रक्षा करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग ने हीरों के व्यापार को बढ़ाने और भारत को अपरिष्कृत हीरों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्र बनाने के उपायों का सुझाव देने के लिए हीरा क्षेत्र के लिए एक कार्य दल का गठन किया है।

इस कार्य दल ने 16 और 30 जनवरी, 2013 को बैठकें आयोजित कीं और व्यापार सरलीकरण, काराधान तथा राजकोषीय उपायों और संवर्धनात्मक मामलों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया था। कार्य दल ने हीरा क्षेत्र के विकास के लिए कई सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार द्वारा क्रियान्वयन हेतु विचार किया जा सकता है।

इस कार्य दल को आशा है कि वर्ष 2013-14 तक पण्य वस्तु निर्यात दोगुना करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्यनीति पत्र में इस क्षेत्र के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन सिफारिशों से मदद मिलेगी। कार्य दल का यह विश्वास है कि इस क्षेत्र के लिए लाभदायी माहौल के सृजन से उपलब्ध अवसरों के दोहन के जरिए नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिलेगी।

दो बैठकों में कार्य दल के सदस्यों की उत्साहजनक भागीदारी और उनके रचनात्मक योगदान हेतु हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है। हमें आशा है कि इन सिफारिशों के क्रियान्वयन से भारत अपरिष्कृत हीरों के लिए व्यापार केन्द्र बनेगा।

(अनूप के. पुजारी)

महानिदेशक, विदेश व्यापार और अध्यक्ष, कार्यदल

कार्यकारी सार

भारतीय हीरा उद्योग इस समय मंदी के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान कटे और परिपकृत हीरो के कुल निर्यात में क्रमश: 17 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। अमरीका हीरो का सबसे बड़ा बाजार है क्योंकि अमरीका को होने वाला निर्यात 6.1 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर है जो बेल्जियम और इस्राइल के निर्यात से अधिक है। यद्यपि हीरों की बिक्री में अत्यधिक कमी आयी है, अक्तूबर,-दिसम्बर, 2013 के दौरान त्यौहारों के महीनों में इस उद्योग में घनात्मक वृद्धि दिखाई देने की संभावना है। अमरीका में हमारे हिस्से में गिरावट शुरू हो गई है; उद्योग को पूर्ण विश्वास है कि अमरीका मजबूत वैश्विक व्यापार भागीदार बना रहगा।

हाल में, ऐसी रिपोर्टें आयी हैं कि चीन सरकारी वार्ता और सहायता के माध्यम से अपरिकृत हीरों की आपूर्ति के लिए अफ्रीकी दशों की सरकारों के साथ प्रत्यक्ष डील कर रहा है जिससे यह विश्व में एक मुख्य हीरा विनिर्माता के रूप में उभरने की स्थिति में है। दुबई भी वैश्विक हीरा व्यापार केन्द्र के रूप में मजबूती से उभर रहा है।

इन सरोकारों को देखते हुए और हीरा उद्योग के वास्तविक हित की रक्षा करने के लिए माननीय मंत्री ने वाणिज्य विभाग को हीरा व्यापार बढ़ाने तथा भारत को अपरिष्कृत हीरों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्र बनाने के उपाय सुझाने के लिए हीरा क्षेत्र के लिए एक कार्य दल का गठन करने का निदेश दिया है।

सुझावों का सार

विधि से संबंधित

1) यद्यपि यह उद्योग दीर्घ समय के लिए एक अनुमानित कराधान प्रणाली चाहता है, यह वित्त मंत्रालय से अनुरोध करेगा कि वर्ष 2007-08 में लायी गई हितकारी निर्धारण प्रक्रिया (बीएपी) के अंतर्गत आयकर की गणना के लिए निवल लाभ दर को 6.0 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत तक लाया जाए ताकि इसके विकल्प का चयन करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जा सके। हालांकि मामला यह नहीं है, क्योंकि बीएपी केवल कागज पर ही स्कीम बन कर रह गई है। करदाताओं के हित, कर संग्रहण का आकार और अनुपालन को देखते हुए भविष्य में एक व्यापक हितकारी कराधान प्रणाली की शुरूआत की जा सकती है। यह उपाय वास्तविक अधिकतम दर के साथ कर अभिवर्धी होगा।

2) कटे और परिष्कृत हीरों के लिए पिछले तीन वर्षों के औसत निर्यात के 15 प्रतिशत तक शुल्कर मुक्तय पुनआर्यात कोटा की अनुमति दी जाए।

3) अपरिष्कृत हीरों के आयात और व्याप पार के लिए विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड) की स्थापना करना जिसमें निवल आय अनिश्चित और करों का भुगतान केवल भारतीय कंपनियों के बिलों पर ही हो।

4) हीरा क्षेत्र के लिए, किसी भी मूल्यं निर्धारण संबंधी विवादों के लिए सूरत और मुबंई पत्तनों में स्थित अवैतनिक मूल्यरनिर्धारण पैनल प्रणाली जा अधिसूचना संख्या 94/2007 और 95/2007 से पहले प्रचालन में थी, को जारी रखा जाए और तदनुसार हीरों के मूल्य4 निर्धारण के मामले में विशेष मूल्ये निर्धारण शाखा के लिए ऐसी अधिसूचनाओं में जोड़ा जाए।

5) इस तथ्ये को देखते हुए कि भारत अपरिष्कृत हीरों का निर्माता नहीं है तथा कटे और परिष्कृत हीरों के उत्पाद का लगभग 90-94 प्रतिशत हिस्साएजिसका भारत में विनिर्माण किया जाता है, निर्यात होता है और इस क्षेत्र पर किसी अप्रत्यु क्ष कराधान का परिणाम केवल कर निर्यात पर होगा, इस क्षेत्र को शून्य्-दर की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के रूप में घोषित किया जाए तथा सेवा कर, वैट अथवा जीएसटी के रूप में संग्रहित सभी शुल्क वास्तेविक निर्यात का सर्वेक्षण करके परिकलित दरों पर ड्राबैक के द्वारा वापस किए जाएं।

नीति से संबंधित

6) गैर पेट्रोलियम निर्यात उद्योगों जिनका उनके निर्यातों के 70 प्रतिशत से अधिक आयात है, को दिए गए उधार के पुनर्वित्तपोषण के लिए आरबीआई द्वारा एक विशेष निधि स्था पित किया जाना। यदि सरकार ऐसी सुविधा मुहैया कराने में असमर्थ है , तो ऐसे क्षेत्रों को कच्ची सामग्री की खरीद हे तु उनकी कार्य शील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा में ईसीबी की व्यवस्था करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

7) 2 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना में समूचे रत्न और आभूषण निर्यातकों को शामिल किया जाना चाहिए जैसा कि 2008-09 में किया गया था।

प्रक्रिया से संबंधित

8) वर्ष 2006 में इस उद्योग के लिए गठित किए गए पिछले कार्य दल के दौरान दिए गए सुझावों और उन पर बनी सहमति के अनुसार निर्यात के लिए सीमाशुल्कि हेतु दस्तावेजों संबंधी आवश्यकताओं को कम करके 23 से 12 दस्तावेज किया जाए।

9) उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे निर्यात संबंधी प्रक्रियात्मक मुद्दों के सरलीकरण हेतु अन्य सुझाव।

अतिरिक्त उपाय

10) भारत में हीरों के खदानों के लिए भारतीय उत्पादकों के लाभार्थ नीति

11) उन देशों के साथ मुक्त व्यापार करार करना जो हीरों और हीरों से जड़ित आभूषणों के उपभोक्ता हैं, किन्तु ब्राजील और रूस की तरह हीरों पर निषेधात्मक आयात शुल्क होना चाहिए।

12) सरकार इस उद्योग की भागीदारी से निम्नलिखित हेतु एक निधि स्थापित करे क) हीरों का सामान्य संवर्धन (ख) प्रमुख उपभोक्ता बाजारों में भारत निर्मित आभूषणों का संवर्धन

13) हीरों तथा हीरों से जड़ित आभूषणों के छोटे विनिर्माताओं को सक्षम बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) का सृजन करना ताकि इन्हें नवीनतम विनिर्माण प्रौद्योगिकी का लाभ मिल सके।

14) निम्नलिखित के संदर्भ में हीरा क्षेत्र में कौशल विकास करना :

   क. नौवीं कक्षा से सीबीएसई और अन्य विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में हीरा मूल्यांकन और हीरा-कट-डिजाइन की शुरूआत करना।

   ख. हीरा प्रोसेसिंग का कार्य करने वाली छोटी इकाइयों के उन्नयन के लिए कार्यक्रम की शुरूआत करना।

   ग. हीरा प्रोसेसिंग उप-क्षेत्र में प्रवेश स्तर पर सभी कार्यों के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार करने का कार्य करना।

15) आयात के निए निष्पादित रत्नों को अपरिष्कृत रत्न माना जाए।

रिपोर्ट

अध्याय 1 : परिचय

पृष्ठ भूमि

हीरा शब्दग्रीक शब्दअदामाओ से आता है जिसका अर्थ है "मैं वश में करता हूं", 'मैं नियंत्रण रखता हूं'। "अदामास" विशेषण का प्रयोग ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ के लिए किया गया था जो बाद में हीरा का सामानार्थी हो गया। हीरों का ज्ञान और उसके कई मायनों की शुरूआत भारत में हु ई थी जहां इसे सबसे पहले खान से निकाला गया था। संस्कृत में हीरा के लिए 'व्रज' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

हीरे का सबसे प्राचीन ज्ञात संदर्भ कौटिल्यद्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ अर्थशास्त्र में आता है। बुद्ध भट्ट की 'रत्न परीक्षा' रत्नोंपर छठी शताब्दी की संधि है। इस ग्रंथ में हीरों के बारे में भारत के ज्ञान का उल्लेख है।

ई.पू. चौथी शताब्दीसे शुरू होकर 1000 वर्षों तक भारत हीरों का एकमात्र स्रोत था। काहिनूर द ओलिफ, द ग्रेट मुगल , संसी होप, फ्लोरटाइन, नसाक, रिजेंट, पितली, निजाभ इत्यादि जैसे विश्व् प्रसिद्ध हीरे भारत का उत्पाद थे। सन 1725 में, ब्राजील में महत्वपूर्ण स्रोतों की खोज हुई और 1870 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में मुख्यखोज से हीरों की आपूर्ति में नाटकीय वृद्धि हुई थी। प्रमुख अतिरिक्त उत्पादकों में अब रूस, कनाडा, बोत्सवाना, आस्ट्रेलिया, डीआर कांगो, घाना इत्यादि शामिल हैं। इस समय 25 से अधिक देशों में हीरे की खाने हैं।

भू-गर्भीय प्रक्रियाएं दो प्रकार की हीरा खदानों का निर्माण करती हैं :

जिन्हेंप्राथमिक और द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। प्राथमिक स्रोत किंबरलाइट और लैम्प्रोइट हैं जो पृथ्वी के गर्भ से हीरों को ऊपर उठाते हैं , जहां इनकी उत्पत्ति होती है। द्वितीयक स्रोत क्षरण से निर्मित होते हैं जिनमें पाइप के आसपास भूतल पर बिखरे हुए हीरे , नदी में व्याप्त हीरे जो समुद्र की किनारे स्थित लहरों से प्रवाह में आते हैं।

आज अलंकरण के रत्नों के रूप में हीरों का प्रयोग अधिकांश व्यक्तियों को ज्ञात है। 1900 के दशक से रत्नशास्त्र के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विशेषताओं के आधार पर हीरों और रत्नों के वर्गीकरण की प्रणाली विकसित की है जिससे रत्नों के मूल्यका निर्धारण किया जाता है।

अध्याय 2 : भारतीय परिदृश्यण

2.1 भारतीय रत्नो और आभूषण उद्योग

भारत का रत्नभ और आभूषण उद्योग अर्थव्य्वस्थाक्ा एक चमकता सितारा है तथा देश के निर्यातोन्मुक्ख विकास की महत्वपूर्ण आधारशीला है। यह उद्योग वित्त वर्ष 2011-12 में 43 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था, भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख विकास क्षेत्र था तथा पिछले वित्त वर्ष में यह कुल भारतीय निर्यात के 14 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ प्रमुख उद्योग था।

2.2 भारतीय हीरा उद्योग

उद्योग के कुल रत्नर और आभूषण निर्यात समूह में हीरे का 54 प्रतिशत हिस्सा है तथा भारत कटे और अपरिष्कृत हीरों का प्रमुख निर्यातक है। इस उद्योग के विश्व सनीय निष्पादन में प्रमुख योगदानकर्ता एक व्यापक हीरा विनिर्माण क्षेत्र है जिसमें देशभर के लगभग दस लाख व्यव क्ति कार्यरत हैं। यह उद्योग छोटे उद्योग के रूप में 1950 के दशक के रूप में शुरू होकर पिछले कई वर्षों से क टे और परिष्कृत हीरों के विश्वगसे सबसे बड़े विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित हो गया है और यह मूल्य के संदर्भ में विश्व की आपूर्ति का 60 प्रतिशत, मात्रा के संदर्भ में 85 प्रतिशत और नगों के संदर्भ में 92 प्रतिशत है। नवसारी, भावनगर, अमरेली के साथ सूरत को हीरा विनिर्माण /प्रोसेसिंग केन्द्र के रूप में जाना जाता है जबकि मुंबई हीरा व्यापार केन्द्रमके रूप में जाना जाता है।

भारत मात्रा और मूल्यके संदर्भ में हीरा व्यांपार में अग्रणी है। यह महत्वपूर्ण स्थिति सरकारी नीतियों के निरन्तर उदारीकरण, उद्यमशीलता, और कौशलयुक्त श्रम के जरिए हासिल की गई है। भारत ने अपनी मूल्यतप्रतिस्पर्धा और न्यूनतम लाभ पर कार्य करने की इच्छात के कारण हीरा कटिंग और पॉलिश के व्यापार में भी विश्व् में सबसे बड़ा स्थान हासिल किया है।

विश्वभर में आभूषण में जड़ित प्रत्येक 15 हीरों में 14 हीरे भारत में प्रोसेस किए जाते हैं। भारत पहले ही अपने आप को "अन्तंरराष्ट्रीय हीरा विनिर्माण केन्द्र" के रूप में स्थारपित कर चुका है। भारतीय हीरा उद्योग ने विश्व भर में विपणन नेटवर्क सृजित किया है। इसके अलावा, यह देश के उद्योग और वित्तीय संस्थाओं की सहायता का मजबूत वित्तीय आधार है।

इस समय, छोटे हीरो के साथ हीरों के विश्व। में अपने लिए अवसर सृजित करने के पश्चाद त भारत बड़े रत्नों और शृंगारिक धातुओं की कटिंग और पॉलिश के लिए कौशल विकसित कर रहा है। भारतीय हीरा पॉलिश कारखाने विश्वगकी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं और लेजर मशीन, कम्प्यूटरीकृत यील्ड प्लानिंग मशीन, उन्नत ब्रूटिंग लेश, डायमंड इंप्रेग्नेटेड स्कैप इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे हैं।

बेल्जियम, इजराइल, चीन और दुबई जैसे अन्यतसफल वैश्विक हीरा व्यापार केन्द्रा इसे समझते हुए हीरा व्यापार के लिए निम्न और निश्चित कराधान प्रणाली की पेशकश कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विनिर्माण में भारत के वर्तमान प्रभुत्वऔके बावजूद यह अपरिष्कृत्त हीरों के लिए केन्द्र बनने में असफल रहा है और इस प्रकार मात्रा लागत, ब्रोकरेज लागत इत्यादि के रूप में हमारे निर्यातकों के लेनदेन लागत में वृद्धि हुई है। छोटे विनिर्माता भी बुरी तरह प्रभावित हैं क्योंकि हांगकांग, बेल्जियम, दुबई इत्यादि में अपरिष्कृत हीरों की आपूर्ति के संबंध में डील करने की उनकी पहुंच और क्षमता नहीं है , अत: वे पूरी तरह द्वितीयक आपूर्ति पर निर्भर हैं।

2.3 सांख्यिकीय पृष्ठभूमि

अपरिकृत, कटे और परिष्कृत हीरों का निर्यात (मूल्यन: मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	अपरिष्कृत हीरे	कटे और परिष्कृत हीरे
2011-12	1772	23356
2010-11	1137	28221
2009-10	744	18224
2008-09	776	14804
2007-08	567	14205
2006-07	565	10910

अपरिकृत, कटे तथा परिष्कृत हीरों का आयात

वर्ष	अपरिष्कृत हीरे	कटे और परिष्कृत हीरे
2011-12	15163	14472
2010-11	11994	20808

वर्ष	अपरिष्कृत हीरे	कटे और परिष्कृत हीरे
2009-10	9048	11610
2008-09	7960	8982
2007-08	9797	5461
2006-07	8767	2027

(वैश्विक सांख्यिकी परिशिष्ट 6 में शामिल की गई है)

कटे और परिष्कृत हीरों के मुख्यं बाजार हांगकांग, यूएई, यू.एस.ए,, बेल्जियम, इजराइल इत्यादि है। देश में कच्ची सामग्री अर्थात अपरिष्कृत हीरों की प्रतिबंधित आपूर्ति के कारण कटिंग और पॉलिश उद्योग की वृद्धि की समग्र क्षमता सीमित है। तथापि , भारत में व्यापक कटिंग और पॉलिश की गतिविधियों और पर्याप्त घरेलू बाजार को देखते हुए हीरा उद्योग व्यापार जो एंटवर्प, इजराइल में केन्द्रित है, को भारत की ओर आकर्षित किया जा सकता है।

अध्याय 3 : विस्तृत सुझाव और उनका स्पष्टीकरण

विधि से संबंधित

1. यद्यपि इस उद्योग को दीर्घावधि में एक अनुमानित कराधान प्रणाली की आवश्यगकता है, यह वित्त मंत्रालय को अनुरोध करेगा कि हितकारी निर्धारण प्रक्रिया (बीएपी) के लिए कर दर घटाकर 2.5 प्रतिशत की जाए ताकि उद्योग को स्वीकृति मिल सके, कर संग्रहण की दर का निर्धारण किया जा सके, इस योजना के विकल्पके लिए उद्योग की रूचि देखी जा सके।

उद्योग के समक्ष मुद्दे

वर्ष 2006 में, भारत में प्रतिस्पर्धी कर सुधारों के क्रियान्वयन के जरूरत को आंकने के लिए रत्न और आभूषण संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष उद्योग के लिए सरलीकृत आयकर परिकलन तंत्र की शुरूआत की मांग करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

इस प्रतिवेदन में, उद्योग के सदस्योंर द्वारा आयकर अधिकारियों को कारोबार के विभिन्न कारकों अर्थात 4सी (कट, क्लैरिटी, कैरेट और कलर) के स्पष्टीकरण देते समय और करयोग्ये लाभ के परिकलन पर उसके प्रभाव को स्पष्ट करते समय मौजूद सरोकारों को रेखांकित किया गया है।

जीजेईपीसी ने स्पष्ट रूप से यह अधोरेखित किया कि उद्योग किसी कानूनी विवाद से बचने के लिए सरकार से केवल सरलीकृत कर आकलन तंत्र शुरू करने की अपेक्षा करता है और उसके सदस्यों को कोई भी कर रियायत अथवा छूट की आवश्यकता नहीं है।

उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों का प्रभाव

उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों को वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सराहा गया और अभिस्वीकृती दी गई तथा विश्व के प्रतिस्पुर्धी राष्ट्रों में व्याप्त परिपाटी के साथ जीजेआई द्वारा सामना किए जाने वाले कथित मुद्दों के विश्लेषण अध्युयन पर बल दिया गया था। वित्त मंत्री ने 2006-07 के बजट भाषण में यह कहा था :

> *"हमारा विश्वास है कि रत्न और आभूषण उद्योग के लिए केन्द्र के रूप में भारत को विकसित करने के लिए काफी गुंजाइश है। अत: मैं एक विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्तांव करता हूं जो इस क्षेत्र की संभावना तथा भारत और विदेश में कराधान की मौजूदा परिपाटी का अध्ययन करेगी और इस संबंध में अपनी सिफारिशें करेगी।*

इसके परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीरय परंपरागत तरीकों समेत कर संबंधी मुद्दों के अध्ययन के लिए श्री शिवरामन ('शिवरामन समिति') की अध्यक्षता में 2006 में एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जिससे इस क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी तथा भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्र के रूप में विकसित होने में समर्थ होगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए एक अनुमानित पद्धति के क्रियान्वयन की सिफारिश की। यह योजना बेल्जियम, इजराइल, थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्धी देशों में व्याप्त ऐसी पद्धतियों के अनुरूप में शुरू की जानी थी।

शिवरामन समिति की सिफारिशों के अनुसार, अनुमानित कर पद्धति से :

- इस क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा;
- व्यापार, कुशल श्रमिक और पूंजी देश में ही रहेगी;
- स्वैच्छिक अनुपालन सक्षम होगा जिसके परिणामस्वरूप राजस्व बढ़ेगा;
- भारतीय उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी; और
- रोजगार के अधिक अवसर निर्माण होंगे।

वाणिज्य मंत्रालय ने अप्रैल, 2007 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में जीजेआई के लिए कराधान की अनुमानित प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर शिवरामन समिति की सिफारिशों पर सहमति दर्शाई थी।

जीजेआई के लिए एक अनुमानित कर योजना हेतु विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बावजूद वित्त मंत्रालय ने 2007-08 के **बजट में हितधारी निर्धारण प्र**क्रिया (बीएपी) की शुरूआत की। बीएपी के अनुसार, निर्धारिती की खाताबहियां विस्तृत जांच के अध्यधीन नहीं होंगी यदि उक्त निर्धारिती हीरा विनिर्माण और व्यापार की गतिविधि से कुल कारोबार का 8 प्रतिशत अथवा अधिक कुल लाभ घोषित करता हो। उक्त मान्य सीमा को सीबीडीटी द्वारा जारी अनुदेश आदेश संख्या 2/2008 दिनांक 22.02.2008 के अनुसार संशोधित करके 6 प्रतिशत किया गया था।

बीएपी अपने वर्तमान स्वरूप में केवल उन्हीं निर्धारितों के लिए उपलब्ध है जिनका हीरों के विनिर्माण और/अथवा व्यापार की गतिविधि से लाभ और प्रतिलाभ 6 प्रतिशत की सीमा के समतुल्य अथवा अधिक हो। तथापि, निर्धारित 6 प्रतिशत की उक्त दर हीरा विनिर्माण और व्यापार उद्योग जो केवल 1 प्रतिशत

से 3 प्रतिशत लाभ पर कार्य करता है , में वास्तोविक रूप से कहीं भी प्रतिबि म्बित नहीं होती है। वित्त मंत्रालय को यह मानना चाहिए कि यदि उद्योग 6 प्रतिशत लाभ की मांग करता तो वह बाजार हिस्साल कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसे कम लाभ पर हासिल किया गया है।

बीएपी के अंतर्गत आने वाले मुद्दे

- उपर्युक्त को देखते हुए बीएपी कागज पर ही एक योजना है क्यों कि इसमें उद्योग के अधिकांश उद्योजकों द्वारा अपनाए जाने की क्षमता नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :
- वर्तमान बीएपी के लिए 6 प्रतिशत की सीमा इस प्रकार है कि वर्तमान उद्योग का मात्र 2 प्रतिशत इस सीमा को पूरा करने में सक्षम हो सकता है।
- हीरा विनिर्माण में वास्तविक निवल लाभ 1.5-4.5 प्रतिशत के दायरे में है तथा हीरा व्यापार का निवल लाभ 1-3 प्रतिशत के दायरे में है । 2012-13 में लाभ और अधिक कम होगा क्यों कि अपरिष्कृत हीरा उत्पादकों ने अपनी कीमतें अधिक रखी हैं (परिशिष्टम 1 देखें)।
- भारत में उद्योग के लिए मूल्यवर्धन 20-25 प्रतिशत है क्योंकि हम छोटे आकार और निम्न स्तर की वस्तुओं की बात करते हैं जिसके लिए अधिक श्रम की आवश्य कता होती है। अत : ब्याज लागत निवल आय जिसे हीरे के पूर्ण मूल्य पर अदा किया जाता है , पर विचार करने के बाद कुल कारोबार के 20-25 प्रतिशत के इस प्रकार के मूल्यवर्धन का 8.15 प्रतिशत होता है।
- हीरे विपणन योग्य होने से पहले ही उनका 2-3 गुना व्यापार होता है। भारत में वस्तुओं का एक विनिर्माणचक्र और एक व्यापार चक्र पर विचार करते हुए लाभ इस प्रकार होगा।
  - कारोबार (विनिर्माण और व्यापार का औसत) पर 1.25-3.75 प्रतिशत
  - मूल्यवर्धन का 12.5-30 प्रतिशत
- इसका परिणाम उद्योग के सदस्यों द्वारा बीएपी की प्रयोज्यता के न केवल अकार्यक्षमता में होता है बल्कि अतार्किक मानद अतिरिक्त में होता है जो विभिन्न कानूनी विवादों का विषय रहा है।

साथ ही, भारत में अहितकारी कर प्रणाली की मौजूदगी के कारण देश अपनी बाजार नेतृत्वं की स्थिति अन्यहनिम्न लागत वाली अर्थव्यीवस्थाओं को खो रहा है। यह इस तथ्य से स्थापित किया जा सकता है

कि पिछले दशक में, भारत ने जीजेआई में ऋणात्मौक वृद्धि दर्ज की है, तथापि, हमारे प्रतिस्पर्धियों उदा. चीन, थाईलैंड, दुबई इत्यादि ने इसी अवधि के दौरान अपने बाजार हिस्से् में काफी वृद्धि दर्ज की है।

	2002-2008	2008-2010
भारत	9%	-16%
चीन, थाईलैंड और अन्यत	7%	27%
दक्षिण अफ्रीका	10%	28%
इजराइल	-5%	-13%
रूस	8%	-19%
अमरीका	11%	-18%
बेल्जियम	4%	0%

यह इस तथ्यर से स्थापित किया जा सकता है कि जिन देशों में अधिक श्रम लागत है , वहां ऋणात्मक वृद्धि[1] देखी गई। भारत कम लागत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद मुख्यत: जटिल कर प्रणाली के कारण इसमें ऋणात्मक वृद्धि देखी गई।

सिफारिश :

पिछले वार्तालाप के आधार पर यह उद्योग मानता है कि खाता बहियों , प्रारंभिक आय और अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन इत्यादि जैसे मुद्दों पर कर प्राधिकारियों और उद्योग के बीच विश्वास की कमी है। इसके आधार पर, यह समझा जाता है कि हीरा क्षेत्र के आयकर विवरणों का 100 प्रतिशत आयकर में जांच के लिए जाता है। **अत: पहले कदम के रूप में, उद्योग बीएपी के अंतर्गत आयकर की संगणना के लिए लाभ दर घटकर 2.5 प्रतिशत चाहेगा ताकि ऐसा विश्वास विकसित हो सके।** यह दर उद्योग के बड़े हिस्सेह को बीएपी का विकल्प चयन करने में प्रोत्साहित करेगी और यह अनुपालन योग्यत होगी। यह जीजेईपीसी द्वारा किए गए सर्वेक्षित प्रतिष्ठायनों के लिए कर योग्या आय के औसत से ऊपर होगा (लाभप्रदता के लिए हीरा उद्योग में कराधान चुनौतियों पर परिशिष्ट 2 देखें)।

---

[1] *भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर की रिपोर्ट - भारतीय निर्यात निष्पादन का सिंहावलोकन - प्रवृत्तियां और प्रेरक*

विगत में, इस उद्योग ने व्या् पार गतिविधि के 2 प्रतिशत और विनिर्माण गतिविधि के 3 प्रतिशत पर परिकलित निवल लाभ के लिए अनुमानित कर हेतु अनुरोध किया है। हम समझते हैं कि निर्धारण के दौरान बही खातों से विनिर्माण और व्यापार कारोबार के बीच पृथक्करण करना कठिन होगा। यदि ऐसा है तो 2.5 प्रतिशत के निवल लाभ के सुझाए गए दर से विनिर्माता और व्यापारी दोनों इस अनुपालन करने में प्रोत्साहित होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि सरकार द्वारा लाए गए बीएपी को सफलता प्राप्त होगी।

यह उद्योग वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से बीएपी का अनुपालन करने वाली कंपनियों के लिए निम्न्लिखित शामिल करने का भी अनुरोध करता है :

- संगत प्राधिकरणों द्वारा लेखापरीक्षित बहीखाते स्वीकृत किए जाएं।
- अपरिष्कृत तथा परिष्कृत हीरों की बिक्री पर अंतरण मूल्य। निर्धारण अनुपालन से उद्योग को छूट दी जाए। बीएपी में सूचित किया गया है कि बहीखाते स्वी् कार्य हैं, अत: अंतरण मूल्यो निर्धारण संबंधी प्रश्न उठाना अप्रासंगिक हो जाता है और बीएपी का उद्देश्या असफल हो जाता है (परिशिष्टं 2 देखें)।
- ऐसे निर्यातकों द्वारा प्राधिकृत बैंकों के साथ निर्यात और आयात का विदेशी मुद्रा वायदा कारोबार और विकल्पं संविदाओं को कारोबार प्रचालन का हिस्सा माना जाए और लाभ/हानियों को पण्यवस्तु बाजारों की तरह ही दर्ज दिया जाए। हीरों की कीमतें अमरीकी डालर में होने के कारण विदेशी मुद्रा लेनदेन इस कारोबार का अभिन्नहहिस्सा है।
- सभी अपरिष्कृत और परिष्कृत हीरों की बिक्री पर हितकारी कराधान योजना के लिए विचार किया जाए और अपरिष्कृत हीरे के अस्वीकरण की बिक्री रद्दी न मानी जाए।
- सदस्यों के वार्षिक पंजीकरण के समय जीजेईपीसी द्वारा संग्रहित सूचना के आधार पर, हीरों का कुल निर्यात कारोबार वित्त वर्ष 2011-12 में 99,835.12 करोड़ रुपये था। यदि सभी कंपनियां 2.5 प्रतिशत हितकारी निर्धारण प्रक्रिया को अपनाती है , तो सरकार के लिए संभावित कर राजस्वर750 करोड़ रुपये होगा।

यदि वास्तविक सीमा दर रखी जाती है, तो यह उपाय कर वर्धन होगा और कर संग्रहण में 6-15 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि होगी (परिशिष्टी 7 देखें)।

2. मूल्यि के संदर्भ में पिछले वर्ष के निर्यात के 15 प्रतिशत तक कटे और परिष्कृत हीरों के लिए शुल्क2 मुक्त पुनर्आयात कोटा की अनुमति दी जाए।

जनवरी, 2012 में, सरकार ने कटे और परि ष्कृत हीरों पर 2 प्रतिशत आयात शुल्कर की शुरूआत की। उद्योग ने जीजेईपीसी के जरिए हीरों की राउंड ट्रिपिंग की रोकथाम के लिए इस उपाय का अनुरोध किया था जिसके परिणामस्वरूप देश के लिए आयात और निर्यात में वृद्धि हुई।

जबकि इस उपाय के अपने वांछित प्रभाव हैं, इसका तात्पर्य यह भी है कि :

- ग्राहकों द्वारा वापस की गई व स्तुओं के मामलों में भूल- चूक के वास्त विक मामलों में छोटी समस्याओं के लिए विवाद उत्पन्न, हो सकता है।
- उपर्युक्त मामलों में, यद्यपि वास्तविक वापसी हो, निर्यातकों को आयात शुल्क के 2 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।
- भारतीय कंपनियों जो अपरिष्कृ त हीरों का आयात करती हैं और भारत के बाहर अपने कारखानों में हीरा पॉलिश करती हैं, बोत्सवाना जैसे देशों से अपरिष्कृत हीरों का कोटा प्राप्त करती हैं, भी नुकसान में हैं।

कंपनियों को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के 15 प्रतिशत तक शुल्क मुक्त पुनर्आयात की अनुमति देने से कंपनियां ऐसे विवादों से बचने में सक्षम होंगी और विदेशों में अपने कारखाने रखने वाली कंपनियां भारत में पालिश आयात करने में भी सक्षम होंगी। अपेक्षाकृत थोड़ा प्रतिशत राउंड ट्रिपिंग के संदर्भ में इस कोटे के किसी दुरुपयोग को हतोत्साहित करेगा।

3. अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड) की स्थापना जहां निवल आय निश्चित हो और कर केवल भारतीय कंपनियों के बिलों पर प्रदत्त हो और पुनर्निर्यात पर न हो।

हीरों के बड़े उत्पादक अवगत हैं कि उनके अपरिष्कृत हीरों के बड़े हिस्से।को भारत में पॉलिश किया जाता है। भारत में ऐसे अपरिष्कृात हीरों के बड़े बाजार का अर्थ यह भी है कि वे बेल्जियम, इजराइल अथवा यू.ए.ई के परंपरागत व्यारपार केन्द्रों के बजाय भारत में प्रत्यक्ष बिक्री करके कुछ प्रतिशत अर्जित कर सकते हैं। तथापि, जटिल प्रक्रियाएं और संभावित कराधान विवाद जो उत्पन्न हो सकते हैं, बड़े उत्पादक अपनी कंपनियां भारत में स्थांपित करने के लिए संकोच कर सकते हैं इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में इस समय अपनी दुकान स्थापित करने के लाभ का अर्थ केवल कुछ प्रतिशत अंक का अतिरिक्त राजस्व है।

भारत में अपरिष्कृत हीरों के आयात और कारोबार के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र के सृजन से कंपिनयों को भारत में कारोबार के लिए अपनी अपरिष्कृत आपूर्ति सीधे लाने में मदद मिलेगी।

- आरंभ में यह बड़ी, स्थापित और प्रतिष्ठित खनन कंपनियां जो इस समय अग्रिम प्रेषण के लिए आरबीआई द्वारा पहले हो अधिसूचित की गई हैं (आरबीआईएपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 21 दिनांक 29 दिसम्बर, 2009), के लिए खुला रहेगा , उनके संबंधित कार्यालय को सीमाशुल्कवबांड के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जा सकता है।
- अन्यक्के लिए, बीडीबी द्वारा प्रबंधित तथा जीजेईपीसी द्वारा प्रचालित क्षेत्र को सीमाशुल्कए बांड के अंतर्गत सामान्यहअधिसूचित क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

इस अधिसूचित क्षेत्र के भीतर

- केवल अपरिष्कृत हीरा बिक्री और अपरिष्कृत संकलन संबंधी गतिविधियों की अनुमति होगी।
- सभी लेनदेनों की सीमा शुल्कत्प्राधिकरण द्वारा कैरेट के हिसाब से न कि मूल्यी के हिसाब से जांच की जाएगी और सत्यापन किया जाएगा।
- सीमाशुल्कत्बांड के अंतर्गत इन क्षेत्रों से मुक्ति आयात और निर्यात होगा।
- घरेलू कंपनियों की सभी बिक्रियों पर (रुपये अथवा डीडीए तंत्र के जरिए)
  - डीटीए को क्षेत्र में किन्हीं बिक्रियों के लिए राष्ट्रीय आय 2 प्रतिशत दर पर मानी जाएगी।
  - आयकर प्रयोज्यतदरों तथा ऐसी सांकेतिक आय पर आधारित नियमावली के अनुसार देय होगा।
  - पुनर्निर्यात की गई किन्हींस्वस्तुओं पर सांकेतिक आय प्रभारित नहीं की जाएगी।

इन सभी अपरिष्कृत हीरा बिक्री करने वाली कंपनियों की खाता बहियों की जांच नहीं की जाएगी और अंतरण मूल्यषनिर्धारण नियमावली के अनुपालन की आवश्यकता नहीं होगी।

- **सांकेतिक आय योजना के अंतर्गत किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय स्थान की अपेक्षा भारत में वस्तुओं की बिक्री करके कंपनियों को प्राप्त हुए किसी अतिरिक्त मूल्य पर कर लगाया जाता है।**
- **चूंकि सांकेतिक लाभों पर कर लगाया जाता है अंतरण मूल्यो निर्धारण प्रासंगिक नहीं है।**

4. हीरा क्षेत्र के लिए, किन्हीं मूल्यांकन विवादों के लिए सूरत और मुंबई पत्तनों में अवैतनिक मूल्यांकन पैनल की प्रणाली है जो अधिसूचना संख्या 94/2007 और 95/2007 के पहले से प्रचालन में थी, को जारी रखा जाए और तदनुसार, हीरों के मूल्यांकन के लिए विशेष मूल्यांकन शाखा की ऐसी अधिसूचना में में शामिल किया जाए।

हीरे, आभूषण, रंगीन रत्नों तथा मोतियों के मूल्यांकन के लिए मुंबई में अवैतनिक मूल्यांकनकर्ता हैं। इसी प्रकार का अवैतनिक मूल्यांकनकर्ता पैनल सूरत और जयपुर में भी है। इसे आयात के लिए अधिसूचना संख्या 94/2007 और निर्यात के लिए अधिसूचना संख्या 95/2007 के प्रख्यापन के बहुत पहले से अपनाया गया था। तथापि, हाल के वर्षों में, रत्न और आभूषण के निर्यात और आयात विशेषकर रंगीन रत्नय और हीरों के लिए आयात हेतु अधिसूचना संख्या 94/2007 और निर्यात के लिए अधिसूचना संख्या 95/2007 का संदर्भ देते हुए संबंधित पक्षों को निर्यात /आयात के मामले में मुंबई, जयपुर और सूरत में सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा विशेष मूल्यांकन हेतु भेजे जा रहे हैं। ये अधिसूचनाएं हीरा उद्योग के लिए कम प्रासंगिक हैं क्योंकि :

हीरा पार्सल की विशेष रूप से नियुक्तव और प्रशिक्षित सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता द्वारा जांच की जाती है।

- भार के लिए सभी पार्सलों की शत प्रतिशत जांच होती है।
- गुणवत्ता और मूल्यर के लिए सभी पार्सलों की शत प्रतिशत जांच होती है।

➢ इसके अतिरिक्तय, मुंबई, सूरत और जयपुर में अवैतनिक मूल्यांकन पैनल हैं, जिनके पास सीमा शुल्कस प्राधिकारियों द्वारा शंका अथवा विवाद के मामले भेजे जाते हैं।

  स्व्भावत: वस्तुओं और उद्योग के अधिक मूल्यै के कारण विनिर्माण अथवा विपणन जैसे प्रचालनों के आधार पर विभिन्नध देशों में स्थित सहायक अथवा सहयोगी प्रतिष्ठानों द्वारा चलाई जा रही स्वतंत्र कंपनियां हैं। वस्तुत: भारतीय हीरा कंपनियों का विदेश में इस तरह का बड़ा नेटवर्क होना बहुत बड़ा लाभ है जिससे इन अंतिम चार दशकों में इस उद्योग का अत्यहधिक विकास हुआ है। तथापि, इस तथ्यि से अब कई पार्सल सीमाशुल्क द्वारा एसवीबी को भेजे जा रहे हैं। दुर्भाग्यरवश, संबंधित कंपनियों के बीच लेनदेनों के लिए ऐसी विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) द्वारा मूल्यांकन समयबद्ध प्रक्रिया नहीं है।

- एसवीबी के पास हीरों के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता का भी अभाव है जो सीमाशुल्कह प्राधिकरण के पास अच्छीं जानकारी और अनुभव के कारण होती है।

सीमा शुल्ककप्राधिकरण द्वारा लेनदेनों की मौजूदा निगरानी को देखते हुए जहां निगरानी प्रक्रिया को अनिवार्य समझा जाए , किसी भी मूल्यां कन विवा द को विशेष मूल्यांकन शाखा के बजाय मौजूदा अवैतनिक मूल्यांकन पैनलों के पास भेजा जाए। यह व्यवस्था वर्षों से प्रभावी रूप से चल रही थी।

अत: इस क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा मूल्यां कन के रेफरल मूल्यांकीन कर्ता के अवैनतिक पैनल के जरिए किया जाना जारी रखा जाए तथा व्यक ष्टि लदानों के लिए मूल्यांवकन स्तार में संदिग्ध डिलींग के लिए इस क्षेत्र हेतु इसी प्रक्रिया को आयात और निर्यात के लिए क्रमश: अधिसूचना संख्यास 94/2007 - सीमा शुल्क् (एनटी) और अधि सूचना संख्या 95/2007 (एनटी) में समाहित किया जाना चाहिए। (परिशिष्ट 1 देखें)।

5. इस तथ्यशको देखते हुए कि भारत अपरिष्कृीत हीरों का निर्माता नहीं है तथा कटे और परिष्कृत हीरों के उत्पाद का लगभग 90-94 प्रतिशत हिस्साएजिसका भारत में विनिर्माण किया जाता है निर्यात होता है और इस क्षेत्र पर किसी अप्रत्यक्ष कराधान का परिणाम केवल कर निर्यात पर होगा, इस क्षेत्र को शून्यत-दर की अप्रत्य क्ष कर प्रणाली के रूप में संग्रहित सभी शुल्क वास्तविक निर्यात का सर्वेक्षण करके परिकलित दरों पर ड्राबैक के द्वारा वापस किया जाए।

हीरों का निर्यात अत्यधिक आयात संवेदी होता है क्योंकि यह पूर्णतया विदेश से आयातित अपरि ष्कृत हीरा आपूर्ति पर निर्भर है। जहां हीरा उद्योग 15 हीरों में से 14 का उत्पादन करता है, यह हीरों का केवल 7.3 प्रतिशत ही उपभोग में लाता है, जैसा कि हाल ही की बैन रिपार्ट में कहा गया है जिसे एंटेवर्प विश्वह हीरा परिषद (एडब्यू डीसी) द्वारा तैयार किया गया था। अत : यह उद्योग मुख्य त: निर्यात संवेदी उद्योग है जो शून्यषशुल्क् कर प्रणाली के लिए आदर्श है क्योंकि यह सरकार की नीति है कि निर्यात करते समय करों का निर्यात न हो।

अधिसूचना संख्या 12/2012-सेवा कर के अनुसार हीरों के विनिर्माण के दौरान कियाजाने वाला जॉब सवा कर से छूट प्राप्त है। दिनांक 29 जून, 2012 की अधिसूचना संख्याय41/2012'सेवा कर के अनुसार भी निर्यात के समय प्रदत्त सेवा कर के लिए रत्नक और आभूषण के निर्यात हेतु 0.06 प्रतिशत के ड्रा बैक की घोषणा की गई है।

सरकार इस क्षेत्र को मुहैया कराए गए सेवा कर हेतु ड्रा बैक की समीक्षा करे और जीएसटी प्रणाली ऐसे लागू करने के लिए तैयार किया जा रहा है , के अंतर्गत हीरा के क्षेत्र को शून्य् शुल्क कर क्षेत्र घोषित करे।

नीति से संबंधित

6. आरबीआई द्वारा गैर पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात उद्योगों जिनका उनके निर्यात के 70 प्रतिशत से अधिक आयात माल है, को दिए गए उधारों के पुनर्वित्तपोषण के लिए 3-5 बिलियन अमरीकी डालर की एक विशेष निधि की स्थापना की जाए। यदि सरकार इस प्रकार की सुविधा देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों को कच्ची सामग्री की खद हेतु उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा में ईसीबी की व्यवस्था करने की अनुमति दी जाए।

ऐसे क्षेत्रों के लिए एक विशेष डॉलर निधि स्थापित की जाए जिनका :

- पेट्रोलियम और पेट्रोरसायन छोड़कर निर्यात मूल्यों के 70 प्रतिशत से अधिक का आयात माल हो, जहां परियोजनाएं इतनी बड़ी हों कि डॉलर वित्तपोषण का निर्धारण हो सके।

हीरा उद्योग को उपलब्ध होने वाली इस निधि के लिए :

- बैंक इस क्षेत्र को अमरीकी डालर में दिए गए अपने उधार के 50 प्रतिशत का पुनर्वित्तपोषण कर सकते हैं और बैंक अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्याप्त लिबोर दर पर इन निधियों का लाभ उठा सकते हैं।

इन निधियां का लाभ उठाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करें कि :

- जब भी आवश्यक हो इस उद्योग को अमरीकी डालर का वित्तपोषण हमेशा उपलब्ध रहे
- बैंक, विस्तार आरबीआई दिशानिर्देशों का कठोर अनुपालन करें

इन निधि से पुनर्वित्तपोषण साधन आधारित होगा जहां क्रेडिट जाखिम निधि के बजाय संबंधित बैंक के साथ होगी।

ऐसे उपायों से उद्योग को मदद मिलेगी क्योंकि :

कार्यशील पूंजी का वित्तपोषण इस उद्योग के लिए मुख्य प्रेरक बना हुआ है।

- यह उद्योग विगत में वित्त की उपलब्धता से प्रेरित रहा है।
- 2008 में वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के पश्चात भारत का विकास भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा व्यापार को डॉलर वित्त की निरंतर उपलब्धता के कारण हुआ कहा जा सकता है।
- इससे भारतीय कंपनियां अपरिपकृत सामग्री खरीदने और अपनी परिसंपत्तियां बढ़ाने में सक्षम रहीं।

➢ यह देखते हुए कि मूलभूत कार्यशील पूंजी परिसंपत्ति अमरीकी डॉलर में मूल्यांकित होती है, अन्यथ देशों के प्रतिस्पर्धियों को डॉलर आधारित वित्तपोषण प्राप्त होता है।

पिछले 1-2 वर्षों में भारत में उद्योग (6 बिलियन अमरीकी डॉलर का उधार) ने :

- विशेष रूप से भारतीय बैंकों के साथ डॉलर वित्तपोषण की अनुपलब्धता के दौरान कठिन अवधि का सामना किया था।
- इस उद्योग को प्रसारित यह उधार 3.5 प्रतिशत के उधार के आरबीआई दिशानिर्देशों से अधिक थे (अमरीकी डालर उधार लागत को प्रभावित करने वाले देशीय जोखिम कारक)

➢ वैकल्पिक प्रणाली भारतीय रुपये में वित्तपोषण का लाभ उठाने की थी जिसका तात्पर्य यह है कि मुद्रा की जोखिम से बचने के लिए अतिरिक्त लागत का व्यय किया जाना।

आरबीआई ने 14 जनवरी, 2013 के अपने परिपत्र में हाल ही में निर्यात क्रेडिट के लिए एक स्वैप सुविधा की शुरूआत की है। यद्यपि यह स्वैप सुविधा विदेशी मुद्रा में लदान-पूर्व निर्यात क्रेडिट को सहायता देना है। यह मौजूदा क्रेडिट पर पर्याप्त डालर वित्तपोषण प्राप्त करने की उद्योग की जरूरत को पूरा नहीं करती है।

वैकल्पिक रूप से सरकार द्वारा निर्यातकों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा में ईसीबी की व्यवस्था करने और लाभ उठाने की अनुमति दी जाए।

7.2 ब्याज सहायता योजना समूचे रत्न और आभूषण निर्यातकों के लिए लागू की जाए जैसा कि इसे 2008-09 में किया गया था।

रुपया निर्यात क्रेडिट पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता योजना इस समय रत्न और आभूषण उद्योग में केवल एसएमई के लिए प्रयोज्य है। इस उद्योग में अधिक कुल कारोबार अधिकांश कंपनियों को एसएमई

की परिभाशा से बाहर रखता है। तथापि, कई छोटी हीरा कंपनियों को उच्चशब्याजो दर पर रुपये में उधार लेने के लिए बाध्यरकिया जाता है जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो जाती हैं।

सभी परिष्कृत हीरा बिक्रियों के लिए 2 प्रतिशत की ब्याजा सहायता योजना फिर से शुरू की जाए। इसका लाभ विनिर्माताओं दिया जा सकता है। यदि उद्योग के इस क्षेत्र के लिए बिंदु 7 में यथाउल्लिखित विशेष डालर निधि की शुरूआत की जाए तो इस उधार की आवश्येकता कम हो जाएगी।

आरबीआई ने अपने 14 जनवरी, 2013 के परिपत्र में हाल ही में 2 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग की वस्तुओं में 134 प्रशुल्के लियन शामिल किए हैं। यद्यपि इसमें हीरा उद्योग का उल्लेख नहीं है, फिर भी एसएमई क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अधिक कीमत की मशीनरी और हीरा उद्योग में अंडरलाइनिंग देखते हुए अधिकांश निर्यातक एसएमई के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करते हैं, अत: इस ब्याज सहायता का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।

प्रक्रिया से संबंधित

8. निर्यात के लिए दस्तावेजों की आवश्यैकता घटाकर 23 से 12 प्रतिलिपि की जाए जैसा कि वर्ष 2006 में इस उद्योग के लिए गठित पिछले कार्य दल के दौरान सुझाव दिया गया था और इसे माना गया था।

वर्तमान निर्यात प्रक्रिया में भारत सरकार की विभिन्नु एजेंसियों को प्रस्तुात करने के लिए विभिन्नत दस्तावेजों की लगभग 23 प्रतिलिपियां अपेक्षित होती हैं। इन दस्तावेजों का प्रबंध करने में समय बर्बाद होता है। इन दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज को प्रस्तुत न करने से निर्यात प्रक्रिया में विलम्ब हो सकता है। यह प्रक्रिया अन्यवप्रमुख अंतरराष्ट्रीय हीरा निर्यात केन्द्रों में नहीं अपनाई जाती है।

इन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां घटाकर 12 की जा सकती हैं। पिछली समिति जिसे 2006 में भारत को अंतरराष्ट्रीय हीरा व्यापार केन्द्रलबनाने के लिए अपेक्षित नीतिगत उपायों की सिफारिश करने के लिए तत्कालीन संयुक्त सचिव, वाणिज्य की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, ने इस विषय पर अध्ययन करके इसी प्रकार की सिफारिशें की थीं। अध्ययन की सिफारिशें जिनमें उन विशिष्ट प्रतिलिपियों का उल्लेख है, जिन्हें हटाया जा सकता है, परिशिष्ट 4 में दर्शाया गया है।

9. इस उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे प्रक्रियात्मक मुद्दों के सरलीकरण के लिए सुझावों से संबंधित अन्य. प्रक्रिया

प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के लिए अन्या सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. आयात और निर्यात के मूल्यांकन और प्रोसेसिंग के लिए पृथक सीमाशुल्क मूल्यांकन क्योंकि इन प्रक्रियाओं का उद्देश्यलभिन्नक है।

   क) 100 प्रतिशत मूल्यांकन के साथ आयात का सही मूल्यक निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह राजस्वे परिप्रेक्ष्यक से है।

   ख) निर्यात की इस प्रकार जांच की जाती है :

      i) कैरेट, प्रति कैरेट दर और मूल्यअके लिए ही निर्यात की 100 प्रतिशत जांच की जाती है।

      ii) विस्तृत मूल्य निर्धारण के लिए निर्यात के 25 प्रतिशत पर विचार किया जाता है।

      iii) वर्तमान प्रलेखन प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय केन्द्रोंएकी तर्ज पर किया जाना है जहां केवल प्वाइंट .1.b.i की जांच होती है। हीरों की विशेषताओं की विस्तृत जांच समाप्त की जाए।

2. सीमाशुल्कआउटपोस्टकपर रत्न और आभूषण के लिए मूल्यांकनकर्ता और अधिकारियों की संख्यात में वृद्धि।

3. रत्नश और आभूषण की वस्तुओं के प्रेषण माल को मंजूरी देने में लगने वाले सीमाशुल्का प्रचालन घंटों में वृद्धि करना, साथ ही इसे शनिवार को खुल रखना और विलम्ब से बचने के लिए सुचारू निर्यात सुनिश्चित करना।

4. सीमाशुल्क केन्द्रा में ईडीआई प्रणाली का कार्यान्वयन और ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्रणाली का भी क्रियान्वयन करना।

5. अधिसूचना संख्या 1009 आरई-20100/2009-14 के अनुसार, जो वस्तुएं 0.25 कैरेट और इससे अधिक हैं, निर्यात तथा पुन आयात के लिए प्रमाणन और ग्रेडिंग के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत हैं। ग्रेडिंग प्रौद्योगिकियों में उन्नति और प्रमाणित रत्नों को खरीदने में उपभोक्तार की अधिक रूचि का

मतलब है जा रत्नय आकार में 0;10-0.15 कैरेट के हो, अब इन्हें भी निरंतर प्रमाणित किया जा रहा है। अत: प्रमाणन और ग्रेडिंग के लिए रत्न के न्यूनतम आकार की सीमा घटाकर 0.25 से 0.10 कैरेट की जाए।

6. प्रमाणन प्रयोजनार्थ अपरिष्कृत हीरा प्रेषण माल निर्यात की अनुमति पर विचार किया जाए।

   (क) कुछ अपरिष्कृत हीरों को पॉलिश करने के पश्चात परिष्कृत वस्तुओं से अलग करना कठिन होता है (30-40 प्रतिशत का संभावित मूल्ये प्रभाव)

   (ख) प्रयोगशालाएं पॉलिश करने से पहले अपरिष्कृत हीरों को स्वीकृत करती हैं और जांच करती है और इस आधार पर प्रमाणित करती हैं।

   (ग) यह भारत में बड़े हीरों के पॉलिश को प्रोत्साहित करेगा।

7. कृत्रिम अपरिष्कृत और अपरिष्कृत हीरों के लिए पृथक आईटीसी एचसी कोड दिए जाए जिससे इस बढ़ते क्षेत्र में निगरानी और खोजने में मदद मिलेगी।

अतिरिक्त उपाय

10. भारत में खान से निकाले गए हीरों के लिए भारतीय हीरा उत्पादक कंपनियों के लाभार्थ नीति

पिछले 20-30 वर्षों में, भारत में अपरिष्कृत हीरों का कोई महत्वपूर्ण खनन अथवा खोज नहीं हुई हैं। तथापि, भारत में रियोटिनोज बंडर खान जो विकासाधीन है और अन्य हीरा कंपनियां अति तीव्रता से आगे आ रही हैं, अत: यह आशा है कि भारत शीघ्र ही वार्षिक रूप से लगभग 2-3 मिलियन कैरेट अपरिष्कृत हीरों का उत्पादन शुरू करेगा (सबसे बड़ी नई खानों में से एक)। अधिकतर अफ्रीकी देशों, कनाडा और रूस में इस समय कुछ स्वन रूप में लाभ प्रतिक्रया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके प्रोसेसिंग में मूल्यस और जॉब कार्य का हिस्सा उनके संबंधित देशों में रखा जा सके।

भारत निम्नलिखित सुनिश्चित करने पर विचार करें :

- भारत में निकाले गए हीरों के सभी अपरिष्कृत कार्य केवल भारत में किए जाएं।
- भारतीय कंपनियों को खान से निकाले गए किसी अपरिष्कृत हीरे को खरीदने की अस्वीकृति का प्रयास अधिकार होना चाहिए।
- अपरिष्कृत हीरों को निर्यात किया जा सकता है, यदि उसे निर्यात मूल्यवपर खरीदने के लिए कोई भारतीय खरीददार न हो।

11. उन देशों के साथ मुक्ती व्यापार करना जो हीरों और आभूषणों के उपभोक्ताल हैं,/ किन्तु ब्राजील और रूस की तरह हीरों पर निषेधात्मक आयात शुल्कय लगाना।

कतिपय विकासशील और उच्चषविकास दर वाले देश हीरा और आभूषणों की उच्ची वृद्धि वाले बाजार हैं। तथापि, इस बाजार में सीधी बिक्री हीरों पर उच्चर शुल्कों के कारण बाधित होती है , जो निर्यात को निषेधात्मक बनाता है।

इन बाजारों में ब्राजील और रूस जैसे देश शामिल हैं।

इन बाजारों पर मुक्तज व्यापार करारों और किसी द्विपक्षीय करारों में शामिल करने पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

12. *प्रमुख बाजारों में (क) हीरों के सामान्यक संवर्धन और (ख) भारत में बने आभूषणों के संवर्धन के लिए पृथक निधियों की स्थापना*

हीरे विलास का उत्पाद होने के कारण उपभोक्ता के बटुए में इसका हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए इसके निरन्तर संवर्धन की आवश्ये कता होती है। हाल के समय में हीरों के संवर्धन में व्य ष्टि ब्रांड अथवा आभूषण द्वारा संवर्धन अपर्याप्त अथवा प्रभावी रहा है।

50 वर्ष से अधिक समय के लि ए डि बीयर्स प्रतिवर्ष 200 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक राशि विपणन पर खर्च करके हीरों का संवर्धन करती रही है। तथापि , उन्होंने अपना यह संवर्धन रोक दिया है क्योंकि हीरों के खनन का उनका बाजार हिस्सा पिछले 10 वर्षों में 85 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत रह गया है। भारत जिसमें इस व्यापार में 90 प्रतिशत से अधिक लोग जुड़े हुए हैं , को इस संवर्धन का सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसे संवर्धनों के आधार पर नक्षत्र , असमी इत्यादि जैसे लोकप्रिय हीरा आभूषण ब्रांड विकसित हुए थे। वर्ष 2009 में, जीजेईपीसी ने 27 विनिर्माताओं और 85 खुदरा व्यापारियों के सहयोग से श्रेणी के रूप में हीरों और हीरे के आभूषणों के संवर्धन हेतु भारत में "अनंत" ब्रांड संवर्धनकी शुरूआत की थी। तथापि, इसे निधियों के अभाव में 1 वर्ष पश्चात बंद किया गया।

वर्ष 2012 में, जीजेईपीसी ने भारत और चीन सहित 2-3 प्रमुख बाजारों में हीरों के संवर्धन हेतु 3 वर्ष की अवधि में 10 मिलियन अमरीकी डालर खर्च करने के प्रति वचनबद्धता दर्शाई थी। जीजेपीसी को आशा है कि वह हीरों के व्यीवसाय में लगे अपरिष्कृत हीरा उत्पादकों और व्यापारियों जैसे अन्ये कारोबारियों के

लिए योगदान करने औ र इस निधि को बढ़ाने के लिए प्रेरक बनेगा जिससे हीरा का निरन्तो र संवर्धन सुनिश्चित होगा। अत: सरकार इस निधि में इस व्यापार के योगदान के समतुल्यसनिधियां प्रदान करे।

वर्ष 2011 में, इस परिषद ने "मेक इन इंडिया" ब्रांड की धारणा को आंकने के लिए बेसलवर्ल्डक2011 में उपभोक्ता2 अवधारणा सर्वेक्षण कराने के लिए स्विस स्पी त ब्रांडिंग संस्थां न सीएमआरएजी को कार्य सौंपा था। इस संस्थान के प्रमुख श्री मार्को कैसानोवा ने नई दिल्ली में 13 जुलाई, 2011 को तत्कांलीन वाणिज्यसचिव डा. राहुल खुल्लर के समक्ष "यूरोपीय बाजार में भारतीय आभूषणों की अवधारणा" नामक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था। इस अनुसंधान के आरंभिक निष्कर्ष इस प्रकार थे :

भारत के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने को आभूषण के देश के रूप में स्थापित कर सके :

- भारतीय आभूषण निर्माताओं के लिए सबसे बड़ा धोखा मूल्यश्रृंखला आगे न बढ़ना है, इस प्रकार वे पूरा कारोबार चीन को गंवा देंगे।

  यदि भारतीय आभूषण उद्योग अपने आप को आभूषण आपूर्तिकर्ता मानता रहेगा तो वह चीन के विरूद्ध कीमतों का युद्ध हार जाएगा।

- भारत को विश्वद स्तर पर आभूषण निर्माता के रूप में निम्ने लिखित प्रेरकों के साथ स्व यं को स्थापित करने की आवश्यकता है।

  - विरासत
  - परंपरा
  - शिल्पकारिता

  जीजेईपीसी भारत में निर्मित हीरों के आभूषणों के संवर्धन के लिए निधि में 10 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान करने हेतु सरकार से अनुरोध करती है। यह निधि

- उच्चा संभावना वाले 2'3 बाजारों के लक्ष्यि बनाएगी
- आधुनिक संदर्भ में परंपरिक कौशल को रेखांकित करेगी
- निरन्तर आधार पर 3-5 वर्षों के लिए संवर्धन करेगी
- यह कार्यक्रम उन आभूषण निर्यातकों के साथ मिलकर तैयार किया जा सकता है जो इस निधि में वृद्धि कर सकते हो और इसे अधिक परिणामोन्मुखी बनाने में योगदान कर सकते हैं।

13. हीरे और आभूषणों के छोटे विनिर्माताओं को नवीनतम विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये की प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) का सृजन

विश्व में व्यापक प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के साथ इस उद्योग में भी परिवर्तन आ रहा है। अधिकांश बड़े विनिर्माताओं के पास विश्व0 में उपलब्धी नवीनतम प्रौद्योगिकी को आयात करने और इसके नियोजन की क्षमताएं है। तथापि, भारत की शक्ति उसके छोटे विनिर्माताओं में है जि नके पास से प्रौद्योगिकियां नहीं है और इनकी समझ भी नहीं है (विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट 5 देखें)

नवीनतम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए छोटे विनिर्माताओं को प्रशिक्षित करने और सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नायन निधि योजना स्थापित किए जाने की आवश्ये कता है। इसके आरंभ में इसके लिए 200 करोड़ रुपए की निधि आरक्षित रखी जाए और इस निधि के संवितरण के प्रचालन को परिधान और चर्म उद्योग के लिए उपलब्धप्रचालन की तर्ज पर तैयार किया जाए।

इस संबंध में, जीजेईपीसी के अनुरोध के आधार पर सरकार ने टियूएफएस के लिए बारह वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके आधार पर जीजेईपीसी ने हीरा उद्योग के लिए सामान्ये सुविधा केन्द्रों के सृजन हेतु एक प्रायोगिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वर्तमान योजना में गुजरात के 13 क्लस्टरों को शामिल किया गया है जहां छोटे विनिर्माता मौजूद है। इन सामान्य सुविधा केन्द्रों में:

- उपस्करों की खरीद टियूएफएस से वित्तपोषित की जाएगी।
- उपस्करों की खरीद संबंधित क्लस्टर समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार की जाएगी।
- मशीनरी चलाने और उसके मरम्मं त का दायित्वसंबंधित स्थानीय संघ का होगा, जिससे छोटे विनिर्माताओं की भागीदारी बढ़ेगी।

जीजेईपीसी आपूर्ति की गई मशीनरी के इष्टतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए आस्थापना और निगरानी में दद करेगी।

सफलता और अभिरुचि को आधार पर, यह योजना अन्यो क्लस्टरों और आभूषण क्षेत्र के लिए भी लागू की जा सकती है। आभूषण विनिर्माण में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने में समय लगेगा।

14. कौशल विकास

रत्न और आभूषण उद्योग पारंपरिक रूप से एक कौशल आधारित उद्योग है जिसमें शिल्पकला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। तथापि प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से भारतीय हस्त निर्मित आभूषण वैश्विक उपभोक्ताओं को कम आकर्षित करते हैं। उद्योग यह जरूरत है कि कामगारों को वैश्विक घटनक्रमों के अनुसार फिर से कुशल बनाया जाए।

भारतीय रत्न और आभूषण कौशल परिषद (जीजेएससीआई) की स्थापना जनवरी 2011 में रत्न और आभूषण उद्योग में कौशल संबंधी अपेक्षाओं को बढ़ाने और अद्यतन करने के लिए की गई थी (विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट 5 देखें)

भविष्य की कार्रवाई :

- 9वीं कक्षा से सीबीएसई और अन्य विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्क्रम के रूप में हीरा मूल्यांकन तथा हीरा कट-डिजाइन की शुरूआत। इस कार्यक्रम हेतु गुजरात एक प्रायोगिक राज्य होगा।
- हीरा प्रोसेसिंग जॉब कार्य करने वाली छोटी इकाइयों के उन्नायन के कार्यक्रम की शुरूआत करना इसका लक्ष्य इन इकाइयों के कामगारों को अपनी उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अपने कौशल को उन्नत करने हेतु प्रशिक्षित करना भी है। यह प्रशिक्षण लघु पुस्तिकाओं के साथ-साथ संगोष्ठियों के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा ऑन-साइट और ऑफ साइट दोनों में)
- हीरा प्रोसेसिंग उप क्षेत्र में आरंभिक स्तर पर सभी जॉब कार्यों के लिए प्रशिक्षण पुस्तिकाएं तैयार करने का कार्य करना। ये पुस्तिकाएं स्थानीय भाषाओं में होगी तथा मशीनरी और औजार विनिर्माताओं की सहायता से विकसित की जाएगी।

15. आयात हेतु प्रीफॉर्म रत्नों को अपरिष्कृत रत्न माना जाए

इस समय, कई देश जो अपरिष्कृत रत्नों का उत्पादन कर रहे हैं, अब अपने ही देश में रत्नों की प्रोसेसिंग पर जोर दे रहे हैं, जैसे तंजानिया गणतंत्र जिसने एक ग्राम अथवा इससे अधिक वजन के अपरिष्कृत तंजानाइट रत्नों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है ताकि तंजानिया में उस पर अधिक मूल्यवर्धन किया जा सके। अत : भारतीय निर्यातकों के पास ऐसे रत्नों के प्रीफॉर्म नगों के आयात के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

निर्यातकों द्वारा रंगीन रत्नों के विनिर्माण के लिए प्रीफॉर्म नगों का आयात किया जा रहा है। ये मुख्यत: अपरिष्कृत रंगीन रत्न ही हैं जिन्हें परिष्कृत वस्तुओं के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भारत में सीमाशुल्क के अधिकारी मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान रत्नों के इन पूर्वगठित नगों को इन रत्नों की प्रीफॉर्म सामग्री नहीं मानते हैं जो शुल्क मुक्त हैं और न ही कट तथा परिष्कृत मूल्यांकन और अर्धमूल्यवान मानते हैं जिन पर जनवरी 2012 से 2 प्रतिशत का आयात शुल्क लगता है। सीमाशुल्क के अधिकारी इन प्रीफॉर्म नगों को "अन्य" के रूप में वर्गीकृत करते हैं और इन पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाते हैं।

"प्रीफॉर्म" रंगीन रत्नों के विनिर्माण में प्रयुक्त 8 चरणों से तीसरा चरण है। अपरिष्कृत रत्नों में से कट और परिष्कृत मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान रत्नों के विनिर्माण में शामिल चरणों में मार्किंग और ट्रिमिंग, सॉइंग, मार्किंग प्रीफॉर्म, कैलिब्रेटिंग, सैंडलिंग/लैपिंग, डोपिंग, फेसेटिंग और पॉलिरिंग शामिल है। मोहसिन मेनूचहर-दानाई द्वारा रचित "रत्न और रत्न शास्त्र शब्द कोष" में प्रकाशित प्रीफार्मिंग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है-"लैपिडरी फेसेटिंग के लिए रत्न पदार्थ को आरंभिक आकार देना।"

चूंकि एयरलाइनों द्वारा रत्नों को मूल्यवान कार्गो माना जाता है और इनका हवाई किराया अत्यधिक है, इसलिए प्रीफॉर्म के आयात से हवाई किराए की लागत बचती है क्योंकि इससे चिपके अन्य खनिजों और खुरदरे अवांछित भाग को ट्रिमिंग और साइंग के चरणों में हटाया जाता है। इससे हमारे निर्यातक अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं। अत: प्रीफॉर्म को कट और परिष्कृत रंगीन रत्न मानने और उन पर शुल्क लगाने से निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा।

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1

फा. संख्या12/1028/2012-ईपी(जीजे)

भारत सरकार

वाणिज्यऔर उद्योग मंत्रालय

वाणिज्यविभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली

7 जनवरी, 2013

आदेश

विषय : हीरे का व्या पार बढ़ाने और भारत को अपरिष्कृात हीरा व्यापार का अंतराष्ट्रीय केन्द्रबनाने के उपायों का सुझाव देने हेतु हीरा क्षेत्र के लिए एक कार्य दल का गठन

माननीय वाणिज्ये, उद्योग और वस्त्र मंत्री के निदेशों पर हीरे का व्यापार बढ़ाने और भारत को अपरिष्कृत हीरा व्यापार का अंतरराष्ट्रीय केन्द्र बनाने के उपायों का सुझाव देने के लिए हीरा क्षेत्र के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया है। इस कार्य दल की संस्थापना इस प्रकार है :

1.	महानिदेशक, विदेश व्यापार	अध्यक्ष
2.	सीएमडी, हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्रा. लि.	सदस्य
3.	अध्यक्ष, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद	सदस्य
4.	अध्यक्ष, भारत डायमंड बोर्स	सदस्य
5.	अध्यक्ष, भारतीय हीरा संस्थान	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, ईपी (जीएंडजे), वाणिज्य विभाग	संयोजन

2. इस कार्यदल का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हेतु सिफारिशें करना है :

i) भारत को अपरिष्कृत हीरा व्यांपार का अंतरराष्ट्रीय केन्द्र बनाना

ii) अंतरराष्ट्रीय हीरा व्यापार केन्द्रों की तर्ज पर कराधान प्रणाली को युक्ति संगत बनाने हेतु

iii) उद्योग को बैंक के वित्तपोषण की उपलब्धता हेतु

iv) भारतीय खानों के हीरों के लाभार्थ

v) भारतीय परिष्कृत हीरों के ब्रांड संवर्धन हेतु

vi) हीरों का निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक अन्यु उपायों हेतु

3. इस कार्य दल को उसके समक्ष सुझाव देने के लिए किसी सदस्यतको अथवा किसी ओर को आमंत्रित करने का अधिकार होगा

4. यह कार्य दल माननीय वाणिज्य , उद्योग और व स्त्र मंत्रालय को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

हस्ता/-

(सिद्धार्थ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन : 23061837

सेवा में,

कार्य दल के सभी सदस्य3

प्रतिलिपि : सीआईटीएम के पी.एस/सीएस के पीपीएस/जे.एस (एएस) के पीएस

परिशिष्ट - 2 : उद्योग की पृष्ठभूमि

हीरा उद्योग वित्तीय संकट के कारण पिछले 5 वर्षों में मुसीबतों का सामना करता रहता है। जिससे व्यापार करने के स्वरूप में बदलाव आया है।

1. **हीरों की कीमतों की अस्थिरता एक नई चुनौती बन गई है** जिसका सामना सभी हीरा कंपनियां कर रही हैं। विगत में, परिष्कृत और परिष्कृत हीरों की कीमतें स्थिर थी जब स्थायी वार्षिक वृद्धि 1-4 प्रतिशत होती थी। 2008 में वैश्विक आर्थिक उथल पुथल के बाद यह परिदृश्य बदल गया। उद्योग में आस्थीरता के दौरे देखे गए जहां कीमतें कम समय में ही अधिक बढ़ जाती थी। कीमतों में गिरावट बढ़ोतरी की अपेक्षा अधिक होती है। इस अस्थिरता के कारण हैं :

   क. चीन जैसे उभरते देशों के बदलते पैटर्न

   ख. अपरिष्कृत हीरों की खंडित आपूर्ति के साथ डि बीयर्स के अपरिष्कृत हीरों की आपूर्ति का हिस्सा पिछले 85 प्रतिशत हिस्से की तुलना में 35-38 प्रतिशत रह गया है। अत : अपरिष्कृत हीरों के उत्पादक कीमतें बनाए रखने के लिए वस्तुएं जमा करने के बजाय जो भी उत्पादित होना है उसे बेच देना पसंद कर रहे हैं।

   ग. कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा अपरिष्कृत और परिष्कृत हीरों के व्यापार में अधिक सट्टेबाजी करना।

2. कीमतों में अस्थिरता विनिर्माताओं को अपनी लाभप्रदता का पूर्वानुमान लगाना अत्यंधिक कठिन बनाती है। विनिर्माताओं का अपरिष्कृत खरीद कर परिष्कृत बनाकर बेचने का 3-6 माह का चक्र होता है। इसके अतिरिक्त , भारतीय रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव ने अस्थिरता बढ़ाई है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हीरों का मूल्य डालर में होता है।

3. अपरिष्कृत हीरों की खंडित आपूर्ति का मतलब यह है कि अपरिष्कृत हीरा उत्पादन अपने उपभोक्ता का विचार किए बिना अपनी अपरिष्कृत सामग्री के लिए राजस्व बढ़ाना चाहते हैं । अलरोसा और डीबीयर्स जैसे बड़े उत्पादक जिनकी दीर्घावधिक आपूर्ति संविदाएं हैं, कीमतें बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं जब वे परिष्कृत हीरों की कीमतें गिरती हैं तब अपरिष्कृत हीरों की अधिक कीमतें बनाए रखते हैं। दीर्घावधिक संविदा उपभोक्ता अधिक कीमतों का भुगतान कर रहे हैं और घाटा उठा रहे हैं ताकि उनकी आपूर्ति संवदा जारी रहे।

4. हीरा पॉलिशिंग क्षेत्र का मूल्यववर्धनल जो एक दशक पहले 20-25 प्रतिशत था, से घटकर 15-20 प्रतिशत रहा गया है। पिछले दशक में, पॉलिशिंग से मूल्यक्वर्धन की लागत लगभग स्थिर रही , जबकि अपरिष्कृसा और परिष्कृक्त हीरों की कीमतें बढ़ गई हैं। यह भारत में भी सत्यह है, जो निम्नअगुणवत्ता वाली वस्तुओंं को पॉलिस करना है, अर्थात जहां मूल्यावर्धन अधिक है।

5. कीमतों की अस्थिरता हीरों के लिए अधिक कठिन होती है जहां मध्य् म स्तंर के विनिर्माताओं के पास स्टाक में पॉलिश हीरों की हजारों क्वाहलिटी होंगी। प्रत्येक क्वालिटी की कीमतें उसकी मांग और आपूर्ति के अनुसार पृथक रूप से घट-बढ़ सकती है।

इसके अतिरिक्तु , कई ऐसे कारक भी हैं जो पॉलिशिंग में भारत के वर्चस्वलको प्रभावित कर रहे हैं :

1. बेहतर क्वालिटी के छोटे हीरों की पॉलिशिंग में बढ़ोतरी के चलते चीन का उभरना इस उद्योग के लिए आसन्ने संकट है।

   क. अमरीका के आयात संबंधी आंकडे दर्शाते हैं कि चीन से परिष्कृत त हीरों के आयात में 2011 में 160 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो किसी भी अन्ये केन्द्र0से अधिक है।

   ख. चीन अपरिष्कृता हीरों के अधिग्रहण को भी आक्रमण तरीके से करता रहा है, जहां सरकार अपरिष्कृता हीरों की खरीद और सीधे चीन में भेजने के लिए अफ्रीकी सरकारों के साथ वार्ता करने में सक्रिय रुचि दिखा रही है। अपरिष्कृसा हीरों की खरीद विपशेष रूप से उस देश को मु हैया की गई अवसंरचना के बदले अधिग्रहित खनिज अधिकारों के व्यापि पक पैकेज का एक हिस्साहोती है।

2. अपरिष्कृस हीरों की आपूर्ति और परिष्कृता हीरों का व्यापार कारोबार का ऐसा क्षेत्र है जो भारत में सभी रत्नोंर के 93 प्रतिशत से अधिक पॉलिश और मूल्यकमें 60 प्रतिशत होने के बावजूद भारत में हैं।

   क. अलरोसा जैसी कंपनियां कुछ भारतीय कंपनियों को सीधे ही अपरिष्कृ त सामग्री की आपूर्ति करती हैं, हालांकि भारत में उनका कार्यालय नहीं है जबकि हांगकांग , इजराइल और एंटवर्प में है।

ख. कर प्रणाली की अस्पंष्ट ता भारत में अपरिष्कृक्त उत्पा दक बड़ी संगठित कंपनियों को स्थापित करने में बड़ी बाधा है।

i) खनन उत्पा दन विशेष रूप से कुछ डालर /कैरेट से कुछ हजार डालर /कैरेट में एसोर्टमेंट देता है। पारंपरिक लेखांकन तर्क को स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन और मूल्यटनिर्धारण संबंधी विवाह उत्पन्न होंगे।

ii) ये अन्यि केन्द्रों में आस्थापना कर सकते हैं जहां कम जांच के साथ निम्नस और पूर्वानुमानित कर संरचना है।

iii) विदेशी अपरिष्कृत हीरा उत्पादन देश/कंपनियां भारत का महत्वजसमझती है और जानती है कि उन्हें संभवत: यहां अच्छी कीमतें प्राप्त होंगी। तथापि, वे चाहेंगी कि उन्हें भारत में प्राप्त: होने वाली वर्धित आय पर कर लगाया जाए।

iv) इसके अतिरिक्त, लेनेदन संबंधी वि लम्बय भी इस उद्योग के लिए महत्व पूर्ण है क्योंकि मूल्यत में उच्चन धारण लागत शामिल होती है।

ग. छोटे अफ्रीकी देशों के लिए, चीन की उपस्थिति और गतिविधि अपरि ष्कृत हीरो के बड़े भाग पर कब्जा कर रही है।

3. इस उद्योग के लिए लेनदेन लागत बढ़ती जा रही है जबकि एंटेवर्प , इजराइल और दुबई जैसे अन्यपकेन्द्रल इन देशों में कर्मचारी लागत अधिक होने के बावजूद लेनदेन लागत घटाने पर ध्या न दे रहे हैं।

इस उद्योग के लिए जिन क्षेत्रों में लेनदेन लागत निरंतर अप्रभावी है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क) निर्यात के लिए अधिक दस्तां वेजों के प्रयास जहां निर्यात के लिए दस्ता वेजों की 21 प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ख) विशेषत: निर्यात के लिए संबंधित पक्षों से निर्यात मूल्यांकन विवाद

i) निर्यात का उच्च मूल्यल और बिना निश्चितता के उनकी बिक्री का अर्थ है कि उद्योग उनको निर्यात करने को तरजीह देता है जिनसे उनके कुछ संबंध है जो कि एक जोखिम एक जोखिम प्रक्रिया है। तथापि, इससे लदान जहाजों की जांच और विशेष मूल्यांकन प्रकोप को रेफर करने का मार्ग खुलता है।

ii) विशेष मूल्यांकन प्रकोष्ठर 7-15 दिन लगा सकता है जिससे वस्तुओं के मूल्यतको देखते हुए उल्लेखनीय पूंजी बंदिस्तठहो जाती है।

iii) एसवीबी संभवत: उद्योग को लागू नहीं होगी क्योंकि सीमा शुल्कसजांच होती है-

1. वजन के लिए 100 प्रतिशत निर्यात माल की जांच होती है।
2. अनुमोदित और प्रशिक्षित सीमाशुल्कनमूल्यांकनकर्ता के जरिए मूल्य की जांच हेतु निर्यात माल के 25 प्रतिशत माल का बेतरतीब चयन किया जाता है।

iv) एसवीबी को हीरा के मूल्यांकन का अपेक्षित ज्ञान नहीं होता है।

v) सीमा शुल्कहकार्यालय में किन्हींकमूल्यांकन विवादों के लिए सदस्यों का अवैतनिक पैनल होता है तथा एसवीबी प्रक्रिया के स्थानन पर उस तंत्र का प्रयो ग किया जा सकता है।

परिशिष्ट 3 : हीरा उद्योग में कराधान की चुनौतियां

हीरा व्यापार की कुछ विशिष्टथ विशेषताएं हैं जिससे लेखापरीक्षकों और जांचकर्ताओं को किसी प्रतिष्ठाप न की लाभप्रदता का सही ढंग से निर्धारण करने में कठिनाई आती है। इस उद्योग द्वारा मूल्यांकन के संबंध में सामना किए जाने वाले मुख्यरमुद्दे इस प्रकार हैं :

- उपज और सकल लाभ में व्यापक अंतर है क्योंकि :
  - o प्रापण किए गए अपरिष्कृत हीरों में अंतर के कारण प्रोसेस और उपज में व्यापक अंतर है।
  - o इससे आय के साथ-साथ सकल लाभ के निर्धारण में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।
  - o कतिपय वस्तुओं में, कपंनियों के पास बेहतर वसूलियों के लिए आय का त्याग करने का विकल्प होना है (बेहतर गुणवत्ता अथवा विभिन्नत आकारों के माध्यम से) इस विकल्प से भौतिक (कैरेट) उपज कम महत्वपूर्ण होगी। इससे तुलना अधिक कठिन हो जाएगी।
  - o कंपनियों में विभिन्न) कौशल और वस्तुअ ओं के स्त। र जो विशिष्ट कंपनियों द्वारा पॉलिशयोग्यो नहीं हैं, भी उपज का निर्धारण करते हैं।
- मालसूचियों की ट्रैकिंग और मूल्यांकन जटिल है :
  - o इस उद्योग का विशिष्ट स्वरूप स्टॉक-इन-ट्रेड के लिए लागत आवंटन और उसके बाजार मूल्यस निर्धारण के मुद्दे उत्पन्नव होते हैं।
  - o प्रत्येक पार्सल में कई प्रकार की कार्रवाइयां की जाती हैं जहां पार्सलों की छंटाई और मिश्रण किया जाता है जैसा कि विभिन्न् ग्राहकों द्वारा अपेक्षित है। इस बार- बार की छंटाई और मिश्रण (जहां कीमतें दी गई हो) से मालसूची में कीमतें दर्ज करना कठिन हो जाता है।
- कई मूल्यांकन हीरे की विशेषताओं पर निर्भर करते हैं
  - o विशिष्टश विनिर्माताओं के पास 4,000 विभिन्नम प्रकार की किस्में हो सकती है, अधिकांश की पृथक कीमतें रखने आवश्यकता होती है।
  - o कई मामलों में, पार्सलों में कई प्रकार की किस्में होती है जिससे ये अधिक विपणनीय होती है (छोटी किस्मशों को कम कीमत प्राप्त होगी क्योंकि इन्हें व्यापारियों द्वारा खरीदा जाएगा)।

- o इससे छंटाई और मिश्रण में मूल्यमनिर्धारण अधिक जटिल होता है और इस प्रकार हीरों के अधिकांश क्रेता कीमतों पर बातचीत करने से पहले प्रत्ये क पार्सल की भौतिक जांच करता है और छंटाई करता है।

- भारतीय संदर्भ में, इसके कारण उद्योजकों द्वारा अपनाई जाने वाली मालसूची मूल्यांक्कंन पद्धति की निम्नलिखित के लिए अस्वीकृैति होती है :
  - o किस्मश्रेणी-वार भंडारण रिपोर्ट बनाए रखने की उनकी समर्थता भंडारण में समायोजन का आधार नहीं हो सकती है।
  - o अगले वर्ष में तदनुरूप प्रभाव अक्सीर मुहैया नहीं कराया जाता है।

- लाभप्रदता की उद्योग जगत की तुलना भी अलग हो सकती है और कंपनी की प्रचालन स्थिति से प्रभावित हो सकती है। छोटे औसत विनिर्माण लाभ को देखते हुए समग्र लाभप्रदता पर उसका काफी प्रभाव पड़ सकता है।
  - o कंपनी के कारोबार की वस्तुओं के प्रकार
  - o आपूर्ति का प्रकार , प्रायमिक अथवा द्वितीयक है (वर्ष 2012 में प्राथमिक अपरिष्कृ त आपूर्ति की कीमतें द्वितीयक बाजार में काफी अधिक थीं)
  - o किसी विशेष कंपनी के लिवरेज का स्तरक और इस प्रकार उसका ब्याज का भार

- विदेशी मुद्रा वायदा बाजार और विकल्परलेनदेन जिनमें बैकों के भी शामिल हैं, कारोबार प्रचालनों के अभिन्नी अंग हैं क्योंकि
  - o हीरो की कीमत और विक्री हमेशा डालर में होती है
  - o आयात/निर्यात भुगतान/वार्स्तविक वसूली के साथ- साथ अनुमानित और बैंक उधारों की वापसी अदायगी के लिए विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचने के लिए विदेशी मुद्रा वायदा और विकल्पयलेनदेन आवश्यक है।
  - o वास्तविक सुरक्षित परिदृश्य में, सभी वसूलनीय को सुरक्षित किय जाता है, यह संभव है कि रुपये के सुदृढ़कीण के परिदृश्यद में, लाभ वायदा संविदाओं दर्शाया जाता है जबकि वास्तविक रूप से विदेशी मुद्रा को सुरक्षित किया गया है।

- o अधिकांश निर्यात बिलों को बैंकों के साथ छूट दी जाती है और विशिष्टव सुरक्षित लेनदेन बैंकों के साथ किए जाते हैं।
- o तथापि बैंकों के साथ किए गए लेनदेनों को सट्टेबाजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- o जबकि एक्सचेंजों के साथ किए गए लेनेदनों का कारोबार प्रचालन माना जाता है।

- विदेशी मुद्रा वायदा और विकल्पन संविदाओं पर हुई हानियां इस कारोबार के अभिन्न हिस्सा है क्योंकि ये
  - o सांकेतिक/आकस्मिक हानि नहीं है
  - o आरबीआई द्वारा प्राधिकृत बैंकों के साथ किए जाते हैं और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन हैं
  - o प्रोदभूत हानियां लेखांकन सिद्धांत-एएस-11 पर आधारित होती है,

इन समस्याओं का यह भी मतलब है कि यह उद्योग अंतरण मूल्य निर्धारण के अनुपालन संबंधी मुद्दों और विवादों के प्रति अति संवेदशील हो जाता है।

- रत्न और आभूषण उद्योग के लिए देश के बाहर सहयोगी उद्यम के साथ कार्य करना जोखिम प्रबंधन पद्धति की एक पद्धति है क्यों कि क्रय-विक्रय विश्वास पर आधारित होता है और इसमें अधिक मूल्य की अंतर्निहित आस्तियां होती हैं।
- तथापि, ऐसे लेन-देन आयकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत अंतरण मूल्य निर्धारण के अध्यधीन होते हैं।
- उद्योग में अंतरण मूल्यन निर्धारण संबंधी अनुपालन कठिन होता है क्यों कि अनंतरण मूल्य निर्धारण की संगत पद्धति इस उद्योग को प्रयोज्य नहीं है।
  - o तुलनीय अनियंत्रित मूल्य (सीयूपी) पद्धति
    - ▪ बेचे गए हीरों के लॉट में अधिक विभिन्नता होती है (अपरिष्कृत और परिष्कृत) अत: लागू नहीं की जा सकती
    - ▪ प्रत्येक हीरा विशिष्ट होता है।

- o हीरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक रूप से सकल लाभ का निर्धारण करना व्याकवहारिक रूप से कठिन होता है।
- o तुलनीय वस्तु ओं का सकल लाभ सार्वजनिक रूप से उपलब्धा नहीं होता है (कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI में संशोधन को देखते हुए जिसमें स्टॉह क का गुणात्मक ब्यौरे के प्रकटन की आवश्यूकता नहीं है)
- o मालसूचियों के आपस में मिलने के कारण आंतरिक सेगमेंट तैयार करना कठिन है (गैर - समूह से समूह की तुलना के साथ लेनदेनों का सकल लाभ)
  - कॉस्टमम्लस पद्धति (सीपीएम) - आरपीएम की तरह की मुद्दें
  - प्राफिट स्प्लिट पद्धति (पीएसएम)
  - उस तारीके संबंधी आंकड़ों की अनुपलब्धता जिसमें स्वतंत्र तीसरे पक्ष अपने लाभ का बंटवारा करंगे।
  - वित्तीय विवरण प्रकटन परिपाटी वैश्विक रूप से भिन्नमभिन्न है।
  - कारोबार में मूल्यकारकों की पहचान/मूल्यांकन में कठिनाई।
- o ट्रांजेक्शूनल नेट मार्जिन पद्धति (टीएनएमएम) - सेगमेंट वार आंकड़ों अर्थात् सार्वजनिक रूप से अपरिष्कृत/परिष्कृत हीरों का विनिर्माण/व्यवसाय के आंकड़े प्राप्त करना कठिन है।

- सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में तुलनीय कंपनियों के पर्याप्त आंकड़ों की कमी, क्योंकि अधिकांश कंपनियां भागीदारी कंपनियां अथवा निजी कंपनियां होती हैं।
- भारतीय टीपी कानून के अंतर्गत सहयोगी उद्यमों (एई) की व्यापक परिभाषा तीसरे पक्षों को एई बना सकती है।
- मालसूचियों के आपस में मिलने के कारण तीसरे पक्षों /सहयोगी उद्यमों के साथ किए जाने वाले लेनदेनों को विभाजित करना पृथक सेगमेंटल खाता तैयार करना कठिन है।
- राजस्वो विभाग द्वारा अंतरण मूल्यानिर्धारण समायोजन किए जाने की स्थिति में , कंपनी के कुल कारोबार का समायोजन नहीं किया जाना चाहिए।

अन्यबवैश्विक केन्द्रोंअने भी हीरा उद्योग के साथ इसी प्रकार के कराधान मुद्दों का सामना किया है और अंततः कुछ सीमा तक अनुमानित कर प्रणाली का क्रियान्वयन किया है। प्रवृत्त वर्तमान दरें इस प्रकार हैं:

देश	पद्धति	परिष्कृत निर्यात 2012 (विलियन डालर)	निवल आय (कुल कारोबार का प्रतिशत)	प्रभावी कर (प्रतिशत) कुल कारोबार का प्रतिशत
बेल्जियम	हीरा उद्योग हेतु अनुमानित कर	14.6	0.175-0.25%	0.06-0-09%
इजराइल	हीरा उद्योग हेतु अनुमानित कर	7.2	विनिर्माण 1.16-1.33%	0.29-0.33%
			व्यापारी 0.63%	0.16%
दुबई	शून्य् कर प्रणाली	-15.5	उ.न.	उ. न.
चीन	कतिपय प्रांतों में पूर्ण कर छूट		उ.न.	%

भारत ही ऐसा बड़ा वैश्विक व्यापार केन्द्रा है जहां हितकारी कराधान प्रणाली नहीं है। अन्यससभी केन्द्रोंमें किसी न किसी प्रकार से अनुमानित कराधान प्रणाली है।

दूसरी ओर, 2011-12 में इस उद्योग द्वारा 71 कंपनियों के प्रतिपर्श के लिए 42,000 करोड़ रुपये राजस्वक के अदा किए गए वास्तविक कर इस प्रकार हैं :

वित्त वर्ष	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
कर से पहले औसत लाभ का प्रतिशत	2.2%	0.3%	2.0%	2.3%	2.3%

इसके अतिरिक्त, जेजेईपीसी ने बैंकों से उनके ग्राहकों और लाभप्रदता के आंकड़े एकत्रित किए हैं। परिणाम इस प्रकार हैं :

संख्या	प्रतिष्ठा न	औसत निवल लाभ प्रतिशत
1.	भारतीय स्टेट बैंक	2.56%
2.	इंडसइंड बैंक	1.5 - 2.5%

संख्याड	प्रतिष्ठाैन	औसत निवल लाभ प्रतिशत
3.	येस बैंक	2.2%
4.	सारस्वंत को-आपरेटिव बैंक : >100 करोड़ कारोबार <100 करोड कारोबार	1.5 - 3.0% 0.5 - 1.5%
5.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर	2.45%
6.	एंटवर्प डायमंड बैंक	3.39%
7.	रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड	3.39%

पिछले तीन वित्त वर्षों में , इन कंपनियों द्वारा रिपोर्ट किए गए कर से पहले वास्ते विक निवल लाभ का वितरण इस प्रकार हैं :

पीबीटी प्रतिशतांक के आधार पर कंपनी का वितरण

3 वर्षीय वितरण

कंपनियों की संख्यार

कर से पहले लाभ (प्रतिशत)

आंकड़ों का 3 वर्षीय मध्यमक मूल्यपलगभग 2.27 प्रतिशत है। यह ध्यमन में रखना होगा कि 2010 और 2011 इस उद्योग के लिए सापेक्षिक रूप से बेहतर वर्ष थे , और उत्पा2कों द्वारा की गई कार्रवाइयों से वर्तमान परिदृश्यदमें उद्योग की लाभप्रदता घट गई है।

परिशिष्ट 4 : भारत में हीरा उद्योग कराधान का विकास

भारत को रत्न और आभूषण का वैश्विक केन्द्रहबनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के आधार पर, तत्कालीन वित्तमंत्री श्री पी. चिंदबरम ने 2006-07 के केन्द्रीय बजट को प्रस्तुत करते समय रत्न और आभूषण क्षेत्र की क्षमता तथा भारत और विदेशों में इस क्षेत्र के लिए व्याप्त कराधान परिपाटियों का अध्ययन करने तथा भारत को इस उद्योग के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी।

तदनुसार, पूर्व राजस्व सचिव श्री एम.आर. शिवरामन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

इस समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार था :

क) उन देशों में रत्न और आभूषण में कराधान को शासित (प्रत्यक्ष के साथ-साथ अप्रत्यक्ष) करने वाले विधायी प्रावधान, नियमावली और विनियमों का तुलनात्मक विश्लेषण करना जहां इस क्षेत्र का अच्छा खासा कारोबार है।

ख) भारत में रत्न और आभूषण उद्योग के लिए बेहतर अंतरराष्ट्रीय परिपाटी के आधार पर एक कराधान प्रणाली के लिए सिफारिशें करना जिनसे :

- क. विकास को प्रेरणा मिलेगी और भारत को इस उद्योग का केन्द्र के रूप में विकसित करना सरल होगा।
- ख. निर्यात बढ़ेगा
- ग. कर का आधार बढ़ेगा और सरकार को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होगा
- घ. कर वंचना का संभावना समाप्त होगी
- ङ. स्वैच्छिक अनुपालना आसान होगी

इस समिति की सिफारिशों में प्रमुख सिफारिश थी समग्र रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए अनुमानित कराधान की शुरूआत करना। इसके पश्चात् केन्द्रीय बजट 2007-08 में, हीरा विनिर्माण और व्यापार की गतिविधियों से 8 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के निवल लाभ की घोषणा करने वाले निर्धारितियों के

लिए एक हितकारी निर्धारण प्रक्रिया की घोषणा की गई थी। इसके बाद इससे उत्प न्नरसरोकारों पर रत्न् और आभूषण उद्योग तथा वि त मंत्रालय के बीच लम्बी अवधि की वार्ता हुई। तत्पय श्चा त 22 फरवरी, 2008 के अनुदेश संख्या् 2/008 के तहत "हितकारी निर्धारण प्रक्रिया" की प्रात्रता के लिए निवल लाभ दर की सीमा घटाकर 6 प्रतिशत अथवा अधिक की गई थी।

तब से लेकर आज तक इस उद्योग के अनुमानित करा धान प्रणाली की शुरूआत करने के लिए इस उद्योग ने भारत सरकार को कई प्रतिवेदन और प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए हैं।

परिशिष्ट 5 : निर्यात में दस्तावेजों की आवश्यकता

इस समय, कटे और परिष्कृत हीरों के निर्यात के लिए निर्यातक को प्रत्येक लदान के लिए 21 बीजक, 2 जीआर प्रपत्र, 3 ग्रीन डिलीवरी चालान और 4 शिपमेंट बिल तैयार करने पड़ते हैं। प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की कुल संख्या 30 है। हम सिफारिश करते हैं कि इन्हें घटाकर 7 बीजक, 2 जीआर प्रपत्र, शून्यपग्रीन डिलीवरी चालान और 3 शिपिंग बिल किए जाएं। अत: प्रस्तावित दस्तावेजों की कुल संख्या 12 है।

बीजक :

(क) 21 बीजक घटाकर 7 किए जाएं तो इस प्रकार हैं :

विभाग	प्रतिलिपियों की वर्तमान संख्याट	प्रतिलिपियों की प्रस्तावित संख्या7
सीमा शुल्को	5	3 (1 सीमा शुल्कस कार्यालय द्वारा रखी जाए और 2 सत्यापन के पश्चात निर्यातक को लौटाई जाए)
सीएचए	5	2
बैंक/निर्यातक	11	2
कुल	**21**	**7**

ख) जीआर प्रपत्र : 2, 3,00,000 अमरीकी डालर तक के लदान हेतु न मांगा जाए

विभाग	प्रतिलिपियों की वर्तमान संख्या	प्रतिलिपियों की प्रस्तावित संख्या,
सीमश शुल्कोंआीबीआई	इस समय, सीमा शुल्कं/आरबीआई के प्रयोजन हेतु जीआर प्रपत्र की दो प्रतिलिपियां अपेक्षित हैं। 25000 अमरीकी डालर तक की वस्तुओं के लिए जीआर प्रपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।	यह सिफारिश की जाती है कि सीमाशुल्क/आरबीआई के प्रयोजन हेतु जीआर प्रपत्र की 2 प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जाएं। यह भी सिफारिश की जाती है कि जीआर प्रपत्र प्रस्तुत किए बिना वस्तुस ओं की मंज़ूरी की सीमा बढ़ाकर सामान्यु

विभाग	प्रतिलिपियों की वर्तमान संख्यास	प्रतिलिपियों की प्रस्तावित संख्या
		फर्मों के लिए 10,000 अमरीकी डालर और प्रतिष्ठि प्राप्तस कंपनियों के लिए 3,00,000 अमरीकी डालर की जाए।

ग) ग्रीन डिलीवरी चालान (निर्यातक की घोषणा) : 3, इसे समाप्त किया जाए

विभाग	प्रतिलिपियों की वर्तमान संख्यान	प्रतिलिपियों की प्रस्तावित संख्यान
	3	शून्यल (घोषणा बीजकों और /अथवा जीआर पत्र में समाहित की जाए।

शिपिंग बिल : 4, घटाकर 3 किया जाए

विभाग	प्रतिलिपियों की वर्तमान संख्याब	प्रतिलिपियों की प्रस्तावित संख्या
सीएचए	4	3
सीमाशुल्कयसांख्यिकी विभाग	1	1
सीमाशुल्कयअभिलेख विभाग	1	1
ईपी प्रतिलिपि	1	1
कुल	**4**	**3**

परिशिष्ट 6 : उद्योग प्रोद्योगिकी और कौशल संबंधी आवश्यकताएं

प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताएं

भारतीय रत्नग और आभूषण उद्योग एक अग्रणी विदेशी मुद्रा अर्जक है और सबसे अधिक वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में से एक है और वर्ष 2011-12 के दौरान भारत के कुल पण्यम निर्यात में इसका 14 प्रतिशत हिस्सारथा। इस उद्योग ने पिछले चार दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है जब इसका निर्यात 1966-67 में 29.35 मिलियन अमरीकी डालर से 2011-12 में 43 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

आईसीआरए द्वारा किए गए अध्यो यनों के अनुसार यह उद्योग भारत में 13 क्लस्टरों में फैला है। हीरा क्लस्टर्स गुजरात राज्यअ में भारतीय पश्चिमी तटीय प्रदेश और रंगीन रत्नोंल के क्लै स्टर जयपुर और राजस्थान के अन्यध हिस्सोंअमें हैं। इसके अलावा , सभी कल स्टस आमतौर पर आभूषण विनिर्माण से संबंधित हैं।

यह उद्योग अत्यधिक कौशल आधारित उद्योग है। अपरिष्कृत हीरों की पहचान और छंटाई से लेकर अंतिम आभूषण के विनिर्माण तक निश्चित कौशल की जरूरत होती है। तथापि , कौशल पर निर्भरता के परिणामस्वरूप विशिष्टत कौशल एक भौगोलिक क्षेत्र तक की सीमित रह गया है जहां आधुनिकी के कारण समयांतर से इन आभूषणों की मांग समाप्त हुई जिसके फलस्वरूप कामगार अपने रोजगार और आजीविका गंवा रहे हैं। इस उद्योग में पारंपरिक हस्त निर्मित आभूषणों का कार्य होता है जहां प्रत्ये क राज्यक की अपनी सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि होती है तथा स्थानीय अभिरूचि के अनुसार शिल्पीज होते हैं। ये हस्तनिर्मित आभूषण देश के प्रत्येक हिस्सेहमें बनाए जाते थे और बनाए जा रहे है 21वीं शताब्दी।का यह उद्योग अब भी पारंपरिक युग में है।

हमारे आभूषण निर्यात का अधिकांश हिस्सा इन पारंपरिक आभूषण निर्माण क्षेत्र से था और दक्षिण एशियाई, अनिवासी भारतीयों तथा अरब समुदाय की जरूरतें पूरी करता था जिससे मध्यएपूर्व के बाजारों में हमारी मजबूत स्थिति थी। तथापि, हाल के प्रौद्योगिकी के आगमन से तुर्की, मलेशिया, हांगकांग, चीन और सिंगापुर उन्नत प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता और विनिर्माण तकनीक से मध्यपूर्व के हमारे पारंपरिक बाजार पर कब्जापकर रहे हैं। 1990 के अंतिम दशक में मुंबई में सी प्जस के आगमन से हीरा उद्योग ने तांत्रिक रूप से सज्जित मूल्यवान आभूषण विनिर्माण को सफलतापूर्वक समेकित किया और उमरीकी तथा यूरोप के पश्चिमी प्रकार से आभूषण बाजार में सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सीप्जउ ने दर्शाया है

कि प्रौद्योगिकीय उन्नायन, बेहतर विनिर्माण तकनीक, कामगारों के लिए बेहतर कौशल और कार्य और संबंधी माहौल के साथ किस प्रकार बाजार पर सफलतापूर्वक कब्जा किया जा सकता है। यह पकिल्पकना की जाती है कि वर्तमान संदर्भ में भारत की पारंपरिक आभूषण विनिर्माण उद्योग को फ्रां स के बुशरान, कार्टियर इत्यावदि जैसे ब्रांडों और इटली में बेरोना , वलेंजा इत्या् दि जैसे क्लनस्टक द्वारा विनिर्मित अत्याधुनिक आभूषण के हस्तां निर्मित बाजारों पर कब्जा ा जमाने के लिए इसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यिकता है। इसके लिए सरकार और उद्योग से समग्र प्रे रणा की जरूरत है जिससे कारीगरों की लघु उद्योग विनिर्माण इकाइयों को उनकी मशीनरी और प्रोसेस को आधुनिक बाजार की जरूरत के अनुसार उन्नोत किया जाए और उभरते देशों जैसे मलेशिया , सिंगापुर, इंडोनेशिया, तुर्की के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह भी प्रासंगिक है कि कारीग र वर्ग वृद्धावस्थाअप्राप्त कर रहा है और कमाई होने के कारण नए कारीगर इस उद्योग में बहुत कम संख्याश में आ रहे हैं। यदि इस विनिर्माण को नई तकनीक जो कार्यक्षमता और गुणवत्तापूर्ण उत्पा ादन सुनिश्चित करती है , के साथ किया जाए तो भारत के वर्तमान रुझान और मानक के अनुसार प्रतिलाभ मिल सकता है जो 7-8 प्रतिशत थी वार्षिक औसत दर से बढ़ रही है। बेहतर मशीनरी और कार्य की उचित शर्तों वाले कारखानों में कार्य करने से इस उद्योग में बने रहने और आभूषण बनाने की परंपरा से जुड़े रहने के लिए उनके बच्चों के अभिमान का समाधान होगा।

कौशल संबंधी आवश्यकताएं

रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने रत्ना और आभूषण संघ (जीजेएफ), सीप्ज रत्न और आभूषण विनिर्माता संघ (एसजीजेएमए) और जयपुर आभूषण संघ (जेजेए) के सहयोग और राष्ट्री य कौशल विकास निगम के तत्वाष वधान में रत्नक और आभूषण उद्यो ग में कौशल संबंधी आवश्यकताओं को बढ़ाने और अद्यतन करने के लिए जनवरी 2011 में भारतीय रत्नो और आभूषण कौशल परिषद (जीजेएससीआई) का गठन किया था।

जीजेएससीआई कई क्षेत्र कौशल परिषदों में से एक है जिसे एनएसडीसी इस उद्योग के सहयोग से स्थापित कर रही ह। एनएसडीसी का उद्देश्य 2022 तक भारत में 500 मिलियम कुशल कामगारों का निर्माण करना है। जीजेएससीआई की अभिशासन परिषद में उद्योग के 11 और सरकार के 2 निदेशक होंगे। उद्योग के 11 निदेशकों में से 5 का नामांकन जीजेईपीसी , 4 का नामांकन जीजेएफ और एसजीजेएमए और जेजेए द्वारा 1-1 निदेशक का नामांकन किया जाएगा। इस समय रत्न5 और आभूषण क्षेत्र में 3.4 मिलियन कामगार है। जीजेएससीआई का लक्ष्यक 2022 तक 4.07 मिलियन लोगों को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना है।

प्रशिक्षण संबंधी वर्तमान परिदृश्य

- अधिकांश मुख्यवकौशल पारस्परिक आधार पर अंतरित होता है और प्रशिक्षण के ज्ञान के आधार पर एक व्यंक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अंतरित होता है। यह प्रयास कुछ कलस्टरों पर केन्द्रित है और पूरे देश में नहीं है। नए कामगार इन क्षेत्रों से लिए जाते हैं। प्रशिक्षण न मानकीकृत है न सुव्यवस्थित है जहां समग्र व्यावसायिक विकास के बजाय कार्य के अभ्या स पर बल दिया जाता है। वर्तमान दृष्टिकोण मापणीय नहीं है और की जाने वाली कामगारों की अधिक मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- इस उद्योग में कौशल विकास विखंडित है। श्रम गहन होने के कारण निरन्त र तरीके से उद्योग के कुशल कारीगरों और कामगारों का प्रशिक्षण दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। प्रशिक्षण तैयार करने और देने के लिए एक कार्यक्षम तंत्र इस विकास को अति सरल बलाएगा। निरन्तर विकास के लिए एक पर्याप्तए प्रशिक्षित कार्यबल आवश्य क है और यह प्रशिक्षण संबंध निवेश पर अत्यिधिक प्रतिलाभ देगा क्यों कि कुशल कार्यबल उद्योग के तीव्र विकास को समर्थ बनाएगा। किफायती कौशल विकास जो उपयुक्त कार्यबल को आकर्षित करता हो, का अत्यधिक महत्वहै।

भारतीय रत्नो और आभूषण कौशल परिषद के कार्य

- विकासशील प्रौद्योगिकी के साथ प्राचीन उद्योग को जोड़ने की पद्धतियों का अध्ययन करना
- रोजगार प्राप्त करने वालों के लिए इस उद्योग को अधिक आकर्षित् करने के लिए करियर के रास्तेजबताना
- स्थानीय कौशल का सुव्यंवस्थित तरीके से प्रशिक्षण देकर कलात्मकता की अवधि में वृद्धि करना
- पारंपरिक गतिविधियां करने के सुधारित तरीके
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य संबंधी स्वच्छता पर फोकर्स करना ताकि कार्यबल का समाधान हो
- अपशिष्टक, हानियों तथा समय को घटाना और अधिक कार्यक्षम उत्पादों सृजन
- उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करना जिससे विश्व भर के केन्द्रों के साथ प्रतिस्पार्धा के लिए उत्पादकों को अवसर प्रदान हो और अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग पूरी हो सके।
- कौशल प्रशिक्षण को औपचारिक शिक्षा पद्धति के स्तर पर लाना और इस उद्योग में कार्य करने के लिए लोगों को आकर्षित करना

परिशिष्ट 7 : आयात/निर्यात संबंधी आंकड़े

सारणी : 1

प्रमुख देशों द्वारा अपरिष्कृत हीरों का कुल निर्यात

	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)
चीन और एच के	18.01	964-41	15.89	896.98	23.15	1821.16	14.05	763.41	12.57	972.11	15.60	1440.79
इजराइल	22.78	3450-45	23.58	4135.21	17.92	4197.59	16.87	2328.53	24.45	3739.30	18.57	4418-94
भारत	40.08	546-44	30.55	601.05	37.60	829	22.43	713.18	32.99	967.81	37.07	1799.89
यूएई	42.22	2367-70	40.20	2825.25	35.58	3085.23	29.68	2088.25	46.60	3542.90	47.21	5871.78

सारणी : 2

प्रमुख देशों द्वारा अपरिष्क्त हीरों का कुल आयात

	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)	कैरेट (मिलियन में)	अमरीकी डालर (मिलियन में)
चीन और एच के	24.59	2114.10	26.63	2230.13	26.66	2331.18	19.57	1674.66	18.03	2023.13	21.70	3156.80
इजराइल	27.15	5492.55	23.90	5858.19	20.73	5357.61	18.83	2938.17	26.75	4429.40	22.61	5324.70
भारत	172.26	8555.62	173.77	9664.34	147.79	9591.57	119.73	6954.95	165.22	11234.79	132.10	14279.72
यूएई	42.38	1561.47	42.63	1954.03	38.78	2155.66	29.19	1386.32	43.42	2061.93	52.12	3700.80

सारणी : 3

प्रमुख व्यापार केन्द्रों से भारत में आयात

मूल्य (अमरीकी डालर में और कैरेट

देश	2011		2010		2009	
बेल्जियम	75.18	7,997.91	96.01	6574.52	70.13	4184.987
इजराइल	4.61	1,096.74	5.185	923.5	3.1	475.72
यूएई	23.15	2,311.25	28.26	1492.52	17.77	786.628
हांगकांग	6.86	545.34	7.76	483.19	8.12	329.819
अन्य.	22.24	2,358.85	27.57	1,730.81	19.94	1,133.90
जोड़	132.04	14,310.09	164.8	11204.5	119.1	6911.49

2011 में इजराइल का अपरिष्कृत हीरों का आयात

सहभागी	मात्रा कैरेट (मिलियन में)	मूल्या (अमरीकी डालर में)
यूरोपीय समुदाय	10.01	2849.26
स्विट्जरलैंड	3.18	908.02
रूसी परिसंघ	3.47	384.68
अंगोला	1.1	243.03
अमरीका	0.34	212.6
दक्षिण अफ्रीका	0.37	174.91
चीन गणतंत्र	0.35	149.69

सहभागी	मात्रा कैरेट (मिलियन में)	मूल्या (अमरीकी डालर में)
थाईलैंड	0.31	126.13
भारत	1.52	79.12
कनाडा	0.03	65.58
लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो	1.35	37.53
बोत्संवाना	0.04	26.33
जिम्वाब्बेर	0.31	15.78
गिनिया	0.05	11.79
सियरो लियोन	0.01	7.26
नामिबिया	0.01	4.95
बेलारूस	0.01	4.54
लाइबेरिया	0.01	3.77
घाना	0.06	3.62
श्रीलंका	0	2.48
गुयाना	0	0.86
तंजानिया	0	0.58
आर्मोनिया	0.07	0.28
ब्राजील	0	0.23
केन्द्रीय अफ्रीकी गणतंत्र	0	0.13
अन्य	0.01	11.54

2011 में यूरोपीय समुदाय द्वारा अपरिष्कृत हीरों का आयात

सहभागी	**मात्रा कैरेट (मिलियन में)**	**मूल्य (अमरीकी डालर में)**
बोत्सवाना	21.9	3887.65
यू.ए.ई.	20.21	2538.3
रूसी परिसंघ	19.41	2519.61
कनाडा	8.86	2404.02
इजराइल	9.78	1939.64
दक्षिण अफ्रीका	5.69	964.99
नामिबिया	1.11	677.29
लेसेथो	0.12	355.05
आस्ट्रेलिया	7.9	219.56
लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो	8.73	189.8
लेबनान	0.45	86.52
सिएरा लियोन	0.23	80.95
श्रीलंका	0.28	61.88.
केन्द्रीय अफ्रीकी गणतंत्र	0.27	50.94
जिम्बाब्वेअ	0.33	43.31
आर्मेनिया	0.18	40.21
अंगोला	0.09	40.02
बेलारूस	0.03	15.59

सहभागी	मात्रा कैरेट (मिलियन में)	मूल्या (अमरीकी डालर में)
गिनिया	0.17	13.75
लाइबेरिया	0.02	8.69
तंजानिया	0.03	8.18
गुयाना	0.04	7.97
घाना	0.1	5.31
ब्राजील	0.01	2.47
अन्यज	27.44	2347.55
जोड़	**133.38**	**18509.28**

2011 में चीन का अपरिष्कृत हीरों का आयात

सहभागी	मात्रा कैरेट (मिलियन में)	मूल्या (अमरीकी डालर में)
यूरोपीय समुदाय	10.2	1482.27
स्विट्जरलैंड	2.68	654.69
इजराइल	1.38	390.03
यू.ए.ई.	0.88	205.11
भारत	5.07	205.05
अंगोला	1.01	110.42
रूसी परिसंघ	0.1	46.33
दक्षिण अफ्रीका	0.04	9.03
बोत्सघाना	0.01	5.3

सहभागी	मात्रा कैरेट (मिलियन में)	मूल्या (अमरीकी डालर में)
केन्द्रीय अफ्रीकी गणतंत्र	0.01	3.28
लाइबेरिया	0.01	2.95
जिम्बाब्बेअ	0.06	2.82
कनाडा	0	1.19
सिएरालियोन	0	2.15
आस्ट्रेलिया	0.01	1.57
गिनिया	0	0.92
श्रीलंका	0	0.39
ब्राजील	0	0.25
लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो	0	0.18
अन्य	0.21	31.86
जोड़	21.7	3156.8

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपरिष्कृत हीरों का आयात

सहभागी	मात्रा कैरेट (मिलियन में)	मूल्या (अमरीकी डालर में)
यूरोपीय समुदाय	13.25	1402.58
भारत	10.61	573.93
अंगोला	4.03	537.48
जिम्बाब्बेअ	8.25	418.36

सहभागी	**मात्रा कैरेट (मिलियन में)**	**मूल्या (अमरीकी डालर में)**
चीन	2.5	159.24
दक्षिण अफ्रीका	1.1	152.14
स्विट्जरलैंड	0.68	129.95
रूसी परिसंघ	2.71	122.71
लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो	8.05	76.6
श्रीलंका	0.01	7.1
केन्द्रीय अफ्रीकी गणतंत्र	0.04	6.5
बोत्संवाना	0.02	4.76
सिएरा लियोन	0.02	4.04
घाना	0.05	3
गिनिया	0.01	2.15
तंजानिया	0	1.63
गुयाना	0.01	1.15
लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो	0.04	0.84
ब्राजील	0.01	0.45
लाइबेरिया	0	0-12
आर्मेनिया	0	0.12
अन्य	0.74	95.96
जोड़	52.12	3700.8

परिशिष्ट : 8 हितकारी/अनुमानित कराधान कर वर्धित प्रभाव

परिषद के 71 सदस्यों का एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया गया था जिसमें हीरा निर्यातक सदस्योंहको शामिल किया गया था। जैसा कि इन सदस्यों्ने बताया है लाभप्रदता का ब्यो्रा इस प्रकार है :

प्रतिष्ठार्थों की संख्या्			
कर-पूर्व लाभ प्रतिशत	**वित्त वर्ष**		
	2009-2010	**2010-2011**	**2011-2012**
<-5.0%	2		
-4.0% से -3.5%		1	
-3.0% से 2.5%	1		
-2.5% से -2.0%			1
-1.5% से -1.0%	1		
-1.0% से -0.5%		1	
-0.5% से 0.0%		2	2
0.0% से 0.5%	1	3	3
0.5% से 1.0%	5	9	9
1.0% से 1.5%	7	4	3
1.5% से 2.0%	9	8	9
2.0% से 2.5%	11	6	8
2.5% से 3.0%	6	6	8
3.0% से 3.5%	7	12	10
3.5% से 4.0%	1	6	2
4.0% से 4.5%	6	3	4
4.5% से 5.0%	2	3	
5.0% से 5.5%	1	1	
5.5 % से 6.0%	2	1	1
6.5% से 7.0%		1	
7.0% से 7.5%		1	1
>10.0%	1		
महाजोड़	**13**	**68**	**58**

ध्याल्नो रहे कि सर्वेक्षण का हिस्सा रहे सभी सदस्यों ने कुछ वित्तीय वर्षों के आंकड़े नहीं दिए हैं।

इन सदस्यों0द्वारा बनाए गए कुल आय संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं :

प्रतिष्ठां नों की संख्या			
कर-पूर्व लाभ प्रतिशत	**वित्त वर्ष**		
	2009-2010	**2010-2011**	**2011-2012**
<-5.0%	180,278		
-4.0% से -3.5%		275,701	
-3.0% से 2.5%	16,099		
-2.5% से -2.0%			15,499
-1.5% से -1.0%	4,660		
-1.0% से -0.5%		188,491	
-0.5% से 0.0%		64,448	42,442
0.0% से 0.5%	79,253	186,959	117,444
0.5% से 1.0%	182,984	222,434	640,827
1.0% से 1.5%	331,997	173,296	54,622
1.5% से 2.0%	401,104	243,436	1,153,499
2.0% से 2.5%	974,692	636,405	414,993
2.5% से 3.0%	163,537	381,582	857,589
3.0% से 3.5%	419,277	741,718	502,825
3.5% से 4.0%	60,153	480,193	211,574
4.0% से 4.5%	263,333	254,579	122,350
4.5% से 5.0%	25,480	60,675	
5.0% से 5.5%	16,055	52,609	
5.5 % से 6.0%	140,179	85,508	116,469
6.5% से 7.0%		147,684	
7.0% से 7.5%		16,219	17,211
>10.0%	10,943		
महाजोड़	**3,270,025**	**4,211,938**	**4,267,343**

सदस्यों4द्वारा बताई गई लाभप्रदता इस प्रकार है :

प्रतिष्ठानों की संख्याल			
कर-पूर्व लाभ प्रतिशत	**वित्त वर्ष**		
	2009-2010	**2010-2011**	**2011-2012**
<-5.0%	-11,716		
-4.0% से -3.5%		-10,176	
-3.0% से 2.5%	-451		
-2.5% से -2.0%			
-1.5% से -1.0%	-58		-387
-1.0% से -0.5%		-965	
-0.5% से 0.0%		-92	
0.0% से 0.5%	299	431	-119
0.5% से 1.0%	1,596	1,758	234
1.0% से 1.5%	4,241	2,311	4,898
1.5% से 2.0%	6,529	4,173	641
2.0% से 2.5%	21,866	14,021	21,249
2.5% से 3.0%	4,657	10,063	9,231
3.0% से 3.5%	13,772	23,372	24,148
3.5% से 4.0%	2,297	17,636	16,025
4.0% से 4.5%	11,000	11,326	7,895
4.5% से 5.0%	1,213	2,886	5,336
5.0% से 5.5%	836	2,654	
5.5 % से 6.0%	8,049	4,844	
6.5% से 7.0%		10,036	6,879
7.0% से 7.5%		1,209	
>10.0%	1,179		1,284
महाजोड़	**65,308**	**95,487**	**97,314**

इस सूचना के आधार पर , प्रतिशतांक अतिरिक्ते लाभप्रदता और प्रतिशतांक अतिरिक्तष कर राजस्वं का निर्धारण करने के लिए विश्ले%षण किया गया था जो हितकारी कर प्रणाली लागू करके सरकार प्रापत कर सकती है।

अनुरूपण के प्रयोजनार्थ, यह माना जाता है कि :

- हितकारी/अनुमानित कराधान की सीमा 2.5 प्रतिशत रखी गई है क्योंकि
    - o यह मानकर कि हीरों को लम्बेर समय तक कई बार बेचा जाता है , इस उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक नाम की सीमा प्रतिबिम्बित करती है।
    - o कंपनियां प्राप्ति संबंधी लम्बेमविवादों से बचने के लिए थोड़ी अधिक कर दर से भुगतान करने में आपत्ति नहीं करेगी।
- सभी कंपनियां जिनकी लाभप्रदता >1 प्रतिशत है, एक हितकारी/अनुमानित कराधान संरचना का चयन करना चाहेगी।

उपर्युक्तच के आधार पर, संभावित अतिरिक्तह निवल आय और अंत: कर संग्रहण इस प्रकार होंगे :

कर पूर्व लाभ (लाख रुपये) @2.5 प्रतिशत हितकारी/अनुमानित कर

कर-पूर्व लाभ प्रतिशत	वित्त वर्ष		
	2009-2010	**2010-2011**	**2011-2012**
<-5.0%	-11,716		
-4.0% से -3.5%		-10,176	
-3.0% से 2.5%	-451		
-2.5% से -2.0%			-387
-1.5% से -1.0%	-58		
-1.0% से -0.5%		-965	
-0.5% से 0.0%		-92	-119
0.0% से 0.5%		431	234
0.5% से 1.0%	1,596	1,758	4,898
1.0% से 1.5%	8,300	4,332	1,366

कर-पूर्व लाभ प्रतिशत	**वित्त वर्ष**		
	2009-2010	**2010-2011**	**2011-2012**
1.5% से 2.0%	10,028	6,086	28,837
2.0% से 2.5%	24,367	15,910	10,375
2.5% से 3.0%	4,657	10,063	24,148
3.0% से 3.5%	13,772	23,372	16,025
3.5% से 4.0%	2,297	17,636	7,895
4.0% से 4.5%	11,000	11,326	5,336
4.5% से 5.0%	1,213	2,886	
5.0% से 5.5%	836	2,654	
5.5 % से 6.0%	8,049	4,844	6,879
6.5% से 7.0%		10,036	
7.0% से 7.5%		1,209	1,284
>10.0%	1,179		
महाजोड़	75,068	101,310	106,770
आधार पर वृद्धि	15%	6%	10%

सरकार के लिए कर राजस्व5में संभावित वृद्धि 6-15 प्रतिशत होगी।

वित्त वर्ष 2012-13 इस उद्योग के लिए कठिन रहा क्योंतकि हीरों की कीमतों में गिरावट आयी थी , 3पया मजबूत हुआ, तथा अपरिष्कृंत हीरा उत्पादिकों ने अपनी कीमतें अधिक बनाए रखी। वित्त वर्ष 2013-14 कम कीमतों के कारण थोड़ा बेहतर रहने की संभावना है , किन्तु उत्पांदक अपनी कीमतें अधिक बनाए रखेंगे। ऐसे माहौल में, यह आशा की जाती है कि आमतौर पर संग्रहित राजस्व् की तुलना में संभावित अतिरिक्तऐ राजस्व, 10-15 प्रतिशत की परिधि में होगा।

जीजेईपीसी द्वारा सदस्यों के वार्षिक पंजीकरण के समय संग्रहित सूचना के आधार पर हीरों का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2011-12 में 99,835.12 करोड़ रुपये था। यदि सभी कंपनियां 2.5 प्रतिशत की हितकारी अथवा अनुमानित कर प्रणाली को अपनाती है, तो सरकार के लिए संभावित कर राजस्वा कम से कम 750 करोड़ रुपये होगा।

अपरिष्कृत, कटे और परिष्कृत हीरों का निर्यात (मूल्यज मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	अपरिष्कृत हीरे	कटे और परिष्कृत हीरे
2011-12	1,772	23,356
2010-11	1,137	28,221
2009-10	744	18,224
2008-09	776	14,804
2007-08	567	14,205
2006-07	565	10,910
2005-06	566	11,831
2004-05	357	11,163
2003-04	533	8,603
2002-03	241	7,105
2001-02	142	5,982

अपरिष्कृत, कटे और परिष्कृत हीरों का आयात (मूल्यज मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	अपरिष्कृत हीरे	कटे और परिष्कृत हीरे
2011-12	15,163	14,472
2010-11	11,994	20,808
2009-10	9,048	11,610
2008-09	7,960	8,982
2007-08	9,797	5,461
2006-07	8,767	2,027
2005-06	8,698	2,992
2004-05	7,648	2,839
2003-04	7,137	1,183
2002-03	6,273	631
2001-02	4,207	466

निर्यात संबंधी आंकड़ों को देखकर विभाग के लिए अनुमानित अतिरिक्तक राजस्व(का अनुमान इस प्रकार है।

- 2011-12 के लिए कुल परिपकृत + अपरिष्कृत का निर्यात = 25 बिलियन अमरीकी डालर
- 2012513 के लिए अनुमानित निर्यात = 17-18 बिलियन अमरीकी डालर (यद्यपि यह मंद बाजार में है)
- आधार मामले में वार्षिक निर्यात 18-20 बिलियन अमरीकी डालर मानते हुए
  - o 54 रुपये के अमरीकी डालर के औसत पर अमरीकी डालर = 97 रुपये - 108,000 करोड़ रुपये का निर्यात
  - o 71 कंपनियों के प्रतिदर्श के लिए 2011-12 में औसत लाभ 2.3 प्रतिशत था।
  - o @ 2.3 प्रतिशत पर समग्र निर्यात पर अनुमानित लाभ = 2,230 - 2,485 करोड़ रुपये
  - o @ 30.9 प्रतिशत से प्रदत्त अनुमानित कर = 690 - 770 करोड़ रुपये
  - o यदि घोषित अतिरिक्ते लाभ 15 प्रतिशत है = 103515 रुपये में अतिरिक्तर राजस्वक

ये अनुमान पूर्ण रूप से मौजूदा कुल कारोबार पर आधारित हैं।

हितकारी/अनुमानित कराधान प्रणाली उन कंपनियों और कारोबारों को भी आकर्षित करेगी जो भारत में कर पद्धति से हतोत्साहित हैं। राजस्वपमें इस उत्तरोत्तर वृद्धि और अत: करों पर इन परिकल्पनाओं में विचार नहीं किया गया है।

*****